**Disclaimer**

The Institute has given the right of translation of the material in hindi and is not responsible for the quality of the translated version. While due care has been taken to ensure the quality of the original material. If any errors or omissions are noticed in Hindi then kindly refer with English version.

**© The Institute of Chartered Accountants of India**

# isij &6

# vd{k.k rFkk vk'okklu

# Hkkx&I f'k{k.k vIMsV

## ¼fo/kk;h la'kks/ku@vf/klpuk@ifji=@fu;e@fofu;ked i)kf/kdj.k }kjk tkjh ekxZn'kZu½

## v/;k; & 10 dEiuh vd{k.k

¼1½ bLrhQs dk }kjk vkdfLed fjfDr & अधिनियम की धारा 140(2) के अनुसार – एक अंकेक्षण जिसने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है, को इस्तीफे की तिथि से 30 दिनों के अंदर (CAAR के नियम 8 के अनुसार) विनिर्दिष्ट ADT–3 फार्म में एक विवरण कंपनी तथा रजिस्ट्रार को जमा कराना होगा।

धारा 139(5) में विर्दिष्ट कंपनियों यानि सरकारी कंपनियों के मामले में भी अंकेक्षक को ऐसा विवरण CAG के साथ–साथ कंपनी तथा रजिस्ट्रार को भी जमा कराना होगा।

अंकेक्षक को उसके इस्तीफे के संबंध में जो भी कारण तथा अन्य तथ्य हैं, दर्शाना चाहिये। कंपनियों (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश 2019 की धारा 140(3) के अनुसार – विफलता के मामले में, अंकेक्षण को पचास हजार रू. की शास्ति या अंकेक्षक का पारिश्रमिक, जो भी कम हो और लगातार विफलता के मामले में, पहले के बाद प्रत्येक दिन के लिए जब तक कि ऐसी विफलता जारी है, पांच सौ रू. प्रतिदिन शास्ति देना होगा।

ukV & कंपनी (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश 2019, तारीख 21 फरवरी 2019 की धारा 140(3) में संशोधन में उक्त को बोल्ड तथा इटेलिक भाग में जोड़ा गया है। { शीर्षक नं.(2.3.1) के अंतर्गत कंपनी लेखा अध्याय के प्रासंगिक पेज नं.10.12 }

(2) dUnz ljdkj dks ykxr vd{k.k fjikVZ tek djkuk – कंपनी को (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए एक दिशा के अनुसरण में) लागत लेखा रिपोर्ट की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर, कंपनी (पंजीकरण कार्यालयों और शुल्क) नियम, 2014 में विनिर्दिष्ट फीस के साथ–साथ कंपनी (दस्तावेजों की फाईलिंग तथा एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग भाषा) नियम, 2015 में दर्शाए गए एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग भाषा (XBRL) प्रारूप में फार्म CRA-4 में ऐसी प्रत्येक दुराव अथवा परिमित मान्यता पर पूरी जानकारी तथा स्पष्टीकरण, ऐसी रिपोर्ट के साथ केन्द्र सरकार के पास जमा करना होगा।

बशर्ते वे कंपनियां जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96(1) के तहत वार्षिक साधारण सभा के आयोजन के समय का विस्तार मिल गया है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 137 के अंतर्गत वित्तीय विवरण जमा कराने के विस्तारित अवधि में फार्म CRA-4 जमा करा सकती हैं।

© The Institute of Chartered Accountants of India

# isij &6 vads{k.k rFkk vk'oklu

उपरोक्त अनुसार कंपनी के द्वारा दी गई लागत लेखा रिपोर्ट तथा दिए गए जानकारी एवं स्पष्टीकरण विचार करने के बाद यदि केन्द्र सरकार का यह मत होता है कि और अधिक जानकारी तथा स्पष्टीकरण आवश्यक हैं, तो वह आगे ओर जानकारी तथा स्पष्टीकरण बुला सकती है तथा सरकार द्वारा दी जाने वाली ऐसी समयावधि में कंपनी को वे सभी जमा कराना होंगे।

{ uksV %& कंपनियां (लागत रिकॉर्ड और लेखा) संशोधन नियमों, 2018 के अंतर्गत MCA अधिसूचना दिनांक 03.12.2018 के अनुसार, उपरोक्त में एक प्रावधान बोल्ड तथा इटेलिक भाग में जोड़ा गया है। कंपनी लेखा अध्याय के शीर्षक नं. 14 के लागत लेखा रिपोर्ट को जमा कराना नामक उप शीर्षक के अंतर्गत प्रासंगिक पेज नं. 10.44 }

## Hkkx&II

## iz'u ,oa mÙkj

### iz'u &

### Hkkx&II A & cgqfodYih iz'u

1. एक मामले के महत्व को पहचानने हेतु तथ्यों तथा परिस्थितियों के ––––––––– की आवश्यकता होती है।
   - a. उद्देश्य विश्लेषण
   - b. व्यक्तिनिष्ठ विश्लेषण
   - c. उद्देश्य तथा व्यक्तिनिष्ठ विवरण
   - d. गुणात्मक विश्लेषण

2. महत्वपूर्ण मामलों के लेखा प्रपत्रीकरण के प्रारूप, सामग्री तथा हद के निर्धारण में, काम को करने तथा परिणामों के मूल्यांकन में की गयी –––––––– की सीमा एक महत्वपूर्ण कारक है –
   - a. पेशेवर संदेह
   - b. पेशेवर ईमानदारी
   - c. पेशेवर निर्णय
   - d. पेशेवर गंभीरता

3. लेखा साक्ष्य, अंकेक्षण की राय तथा रिपोर्ट के समर्थन के लिए आवश्यक हैं। यह अंकेक्षण करने के दौरान की जाने वाली लेखा प्रक्रियाओं से प्राथमिक रूप से प्राप्त होता है तथा यह ––––––––––––– स्वभाव/प्रकृति का है।
   - a. संचयी
   - b. प्रतिगामी
   - c. चयनात्मक
   - d. वस्तुनिष्ठ



© The Institute of Chartered Accountants of India

4. इकाई तथा उसके वातावरण जिसमें इकाई का आंतरिक नियंत्रण, वित्तीय विवरण तथा निश्चय करने के स्तरों पर, चाहे कपट या त्रुटि के कारण हों, ऐसे महत्वपूर्ण मिथ्याकथन के जोखिमों को पहचानने तथा निर्धारण करने हेतु समझ बनाने की अपनाई गई लेखा प्रक्रियाएं ————————————— को दर्शाती हैं :—

   a. लेखा निर्धारण प्रक्रियाएं
   b. मूल प्रक्रियाएं
   c. नियंत्रण के प्रशिक्षण
   d. जोखिक निर्धारण प्रक्रियाएं

5. जब नियंत्रण की प्रभावोत्पादकता के लिए अधिक ठोस लेखा साक्ष्य आवश्यक हों :—

   a. यह नियंत्रण के परीक्षणों की सीमा को बढ़ाने तथा नियंत्रणों की विश्वसनीयता की माप को कम करने हेतु उपयुक्त हो सकता है।
   b. यह नियंत्रण के परीक्षणों के साथ ही नियंत्रणों की विश्वसनीयता की डिग्री को भी कम करने हेतु उपयुक्त हो सकता है।
   c. यह नियंत्रण के परीक्षणों की सीमा कम करने तथा नियंत्रणों की विश्वसनीयता की माप को बढ़ाने हेतु उपयुक्त हो सकता है।
   d. यह नियंत्रण के परीक्षणों के साथ ही नियंत्रणों की विश्वसनीयता की डिग्री को भी बढ़ाने हेतु उपयुक्त हो सकता है।

6. जिन नियंत्रणों पर अंकेक्षक विश्वास करना चाहता है, उनसे विचलन निकलते हैं :—

   a. अंकेक्षक को इन मामलों तथा इनके संभावित परिणामों को समझने के लिए कोई पूछताछ नहीं करना चाहिए।
   b. अंकेक्षक को इन मामलों तथा इनके संभावित परिणामों को समझने के लिए विशिष्ट पूछताछ करना चाहिए।
   c. अंकेक्षक को इन मामलों तथा इनके संभावित परिणामों को समझने के लिए सामान्य पूछताछ करना चाहिए।
   d. अंकेक्षक को इन मामलों तथा इनके संभावित परिणामों को समझने के लिए सामान्य तथा विशिष्ट दोनों ही पूछताछ करना चाहिए।

7. निम्न में से कौन सा कथन सही है :—

   a. मूल विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं सामान्यतः लेन—देनों के वृहद पैमानों पर ज्यादा लागू होती हैं, जो कि समय के साथ हो जाते हैं।
   b. मूल विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं सामान्यतः लेन—देनों के वृहद पैमानों पर कम लागू होती हैं, जो कि समय के साथ हो जाते हैं।
   c. मौलिक विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं सामान्यतः लेन—देनों के लघु पैमानों पर अधिक लागू होती हैं, जो कि समय के साथ हो जाते हैं।



© The Institute of Chartered Accountants of India

d. उक्त में से कोई नहीं।

8. यदि अंकेक्षक, आरंभिक शेष के संदर्भ में पर्याप्त तथा उपयुक्त लेखा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो अंकेक्षक व्यक्त करेगा –

a. एक अमान्य मत
b. एक परिमित मत
c. SA–705 के अनुसार एक अमान्य मत या एक परिमित मत, जो भी उचित हो।
d. असंशोधित मत

9. एक सकारात्मक पुष्टिकरण निवेदन अथवा एक वापसी अप्राप्त सकारात्मक निवेदन के प्रक्रिया हेतु पुष्टि करना या समस्त प्रक्रिया देने वाले का विफल होना –

a. नकारात्मक पुष्टिकरण निवेदन
b. गैर प्रतिक्रिया
c. अपवाद
d. सकारात्मक प्रतिक्रिया निवेदन

10. किसी ऐसी कंपनी के मामले में, जिसे धारा 177 के तहत, एक लेखा परीक्षा समिति का गठन करने की आवश्यकता होती है तथा ऐसे मामलों में, जहां उक्त समिति का गठन करने की आवश्यकता नहीं होती है ––––––––– लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किए जाने हेतु प्रस्तावित व्यक्ति या फर्म की योग्यता एवं अनुभव पर विचार करेगा तथा यह भी ध्यान रखेगा कि उक्त योग्यता तथा अनुभव कंपनी के आकार एवं आवश्यकताओं के अनुरूप है या नहीं।

a. मंडल
b. निदेशक
c. प्रबंध निदेशक
d. पूर्णकालिक निदेशक

## Hkkx&II B foojk.kRed iz'u

1. निम्न वक्तव्य सही हैं अथवा गलत हैं, कारण (संक्षेप में) सहित वर्णित करें :–

i. धारा 139(6) के अंतर्गत, एक कंपनी, सरकारी कंपनी सहित, के प्रथम लेखा परीक्षक की नियुक्ति कंपनी के पंजीकरण की तिथि से 60 दिनों के भीतर निदेशक मंडल द्वारा की जावेगी।

ii. अधिनियम की धारा 140(2) के अंतर्गत, लेखा परीक्षक को, जिसने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है, कंपनी के रजिस्ट्रार को सूचित करने की आवश्यकता नहीं है।

iii. लेखापरीक्षा के लिए पूर्व शर्ते SA–210 'अंकेक्षण कार्य की शर्तो को स्वीकार कर' में परिभाषित नहीं किया गया है।

iv. लेखा परीक्षक को किसी भी मामले में, संस्था के प्रबंधन से योजना के अवयवों पर चर्चा की जरूरत नहीं है।



© The Institute of Chartered Accountants of India

v. नियोजन, अंकेक्षण का एक असतत चरण है।

vi. विषयपरक परीक्षण, वित्तीय विवरणों के सूक्ष्म परीक्षण तथा जांच को इंगित करता है।

vii. अकेले पूछताछ केवल सामान्य रूप से पुष्टि के स्तर पर महत्वपूर्ण गलत विवरण की अनुपस्थिति के तथा नियंत्रणों के प्रभावी अभियोजन के लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराता है।

viii. जोखिम का मूल्यांकन सटीक माप की बात करने में सक्षम है।

ix. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अनुसार– एक कंपनी बट्टे पर अंष जारी कर सकती है।

x. एक अदृष्य संपत्ति, पहचान योग्य मौद्रिक संपत्ति है।

## v/;k; &1 vd{k.k dh i—fr] mÌ'; vkj {k=Qy

2(a) एक अंकेक्षक को जिसे कार्य के पूरा होने से पहले, ऐसे कार्य को बदलने के लिए अनुरोध किया जाता है, जो कि एक निचले स्तर के आष्वासन को प्रदान करता है, को ऐसा करने के औचित्य पर विचार करना चाहिए। उन कारकों की व्याख्या कीजिए, जिनके आधार पर ग्राहक द्वारा अंकेक्षक को कार्य बदलने का अनुरोध किया जा सकता है।

(b) फर्म को डिजाइन की गयी नीतियों तथा प्रक्रियाओं को इस प्रकार स्थापित करना चाहिए कि उचित आष्वासन मिल सके कि गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली से संबंधित नीतियां और प्रक्रियाएं प्रासंगिक, पर्याप्त तथा प्रभावी रूप से संचालित तथा व्यवहार में अनुपालित की जाती हैं। इस तरह की नीतियाँ तथा प्रक्रियाओं में प्रतिष्ठान को प्रणाली की गुणवत्ता, नियंत्रण के निरंतर विचार तथा मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिसमें पूर्ण किए गए कार्यो के चयन का आवधिक निरीक्षण भी शामिल हैं। उक्त प्रसंग को गुणवत्ता नियंत्रण नीतियों एवं प्रक्रियाओं के साथ निगरानी अनुपालन के उद्देष्य से व्याख्यित कीजिए।

3.(a) चार्टर्ड एकाउन्टेंट की एक जिम्मेदारी है कि उन संदर्भो, जिनमें वे अभ्यास करते हैं, स्वतंत्रता के लिए खतरे तथा खतरों को खत्म करने के उपलब्ध सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र रहें।

उक्त प्रसंग के लिए मार्गदर्षन सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए।

(b) स्वयं की समीक्षा आशंका/धमकी पर एक टिप्पणी लिखिए।

## v/;k;&2 vd{k.k j.kuhfr] y[kkdu ;kstuk vkj vd{k.k dk;Øe

4(a) योजनाओं को, ग्राहक की लेखा प्रणाली, नीतियों और आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बनाया जाना चाहिए। व्याख्या कीजिए –

(b) अप्रत्याशित घटनाओं, परिस्थितियों में परिवर्तन या अंकेक्षण प्रक्रिया के परिणामों से प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य के परिणामस्वरूप, अंकेक्षक को समग्र अंकेक्षण रणनीति और अंकेक्षण योजना को संशोधित करने की आवश्यकता हो सकती है। व्याख्या कीजिये।



© The Institute of Chartered Accountants of India

5(a) लेखा फर्म MKC AND COMPANY के कार्यकारी साझेदार का सोचना है कि लेखा परीक्षा की योजना में कार्य लिये समग्र अंकेक्षण की रणनीति बनाना और अंकेक्षण योजना का विकास करना शामिल है। पर्याप्त योजनाओं में वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण को कईं तरह से लाभांवित किया गया है। उचित योजना के लाभों की व्याख्या कीजिए।

(b) योजना अंकेक्षण का असतत चरण नहीं है, बल्कि एक नित्य और पुनरावृत्ति प्रक्रिया है, जो अक्सर पिछले अंकेक्षण के पूरा होने के कुछ समय बाद शुरू होती है और वर्तमान अंकेक्षण जुड़ाव के पूर्ण होने तक जारी रहती है। विश्लेषण तथा व्याख्या कीजिए।

## v/;k;&3 vad{k.k iys[ku vkj vad{k.k lk{;

6(a) अंकेक्षण एक तार्किक प्रक्रिया है। एक लेखा परीक्षक को स्थिति की वास्तविकताओं का आंकलन करने, खाते के ब्यौरे की समीक्षा करने और इस तरह के खातों की सच्चाई और निष्पक्षता के बारे में विशेषज्ञ राय देने के लिए कहा जाता है। वह यह तब तक नहीं कर सकता जब तक वह वित्तीय विवरणों की निष्पक्ष जांच न करें। अपने फैसले तक पहुंचने के लिए जानकारी प्राप्त करने हेतु उसे साक्ष्य की जरूरत है। अंकेक्षण साक्ष्य का विस्तार से अर्थ बताते हुए व्याख्या कीजिए।

(b) अंकेक्षण के साक्ष्य और रिपोर्ट को समर्थन देने के लिए लेखा परीक्षा के सबूत आवश्यक है। यह संचयी प्रकृति के हैं और मुख्य रूप से अंकेक्षण के दौरान किए गए अंकेक्षण प्रक्रियाओं से प्राप्त किये जाते हैं। अंकेक्षण की राय बनाने में अधिकांश अंकेक्षक के काम में अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने और मूल्यांकन करने होते हैं। व्याख्या कीजिए।

7(a) SQC- 1 की आवश्यकता है कि फर्म, अंकेक्षण फाइलों के गठन के समय पर पूरा होने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं की स्थापना करे। व्याख्या कीजिए।

(b) जब लेखांकन के निरंतर चलने के उपयोग का आधार उपयुक्त है, तो संपत्ति और देयताएं इस आधार पर दर्ज की जाती हैं, कि व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में इकाई अपनी संपत्तियों की वसूली तथा देनदारियों का निर्वहन कर सकती है। निरंतर चलने वाली इकाई के संदर्भ में अंकेक्षक के उद्देश्य को भी बताते हुए व्याख्या कीजिए।

8(a) अंकेक्षण प्रलेखन का अर्थ तथा प्रकृति की चर्चा कीजिए।

(b) लिखित निरूपण के संदर्भ में अंकेक्षक के उद्देश्य की स्पष्टतः व्याख्या कीजिए।

## v/;k;&4 tkf[ke vkdyu vkj vkrfjd fu;=.k

9(a) नियंत्रण के परीक्षण के परिणामों के आधार पर लेखा परीक्षक को मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या आंतरिक नियंत्रणों की इस तरह से रचना की गयी है तथा वे नियंत्रण जोखिम के प्रारंभिक मूल्यांकन में विचारणीय रूप में कार्य करते है। विश्लेषण तथा व्याख्या कीजिए।

(b) लेखा कार्यक्रम की सीमा तथा प्रकृति, परिचालन में लायी जा रही आंतरिक नियंत्रण प्रणाली से काफी हद तक प्रभावित होती है। विश्लेषण तथा व्याख्या कीजिए।



© The Institute of Chartered Accountants of India

10(a) SAs आमतौर पर 'महत्वपूर्ण मिथ्यावर्णन के जोखिम' के संयुक्त मूल्यांकन के बजाय अंतर्निहित जोखिम और नियत्रंण जोखिम को अलग–अलग नहीं दिखाते हैं। व्याख्या कीजिए।

(b) Fast Cars Ltd. के अंकेक्षक ने नियंत्रण पर्यावरण पर एक जानकारी प्राप्त की। उसके एक भाग के अनुसार अंकेक्षक ने मूल्यांकन किया कि एक प्रबंधन ने ईमानदारी और नैतिक व्यवहार की संस्कृति को बनाये रखा है तथा नियंत्रण वातावरण तत्वों की ताकत आंतरिक नियंत्रण के अन्य घटकों के लिए उपयुक्त आधार प्रदान करती है। नियंत्रण पर्यावरण में क्या शामिल है, बताइये। नियंत्रण पर्यावरण के घटकों का भी विवरण दीजिए।

## v/;k; & 5 diV rFkk blds lac/k esa vad{kd dk mÙkjnkf;Ro

11 कंपनी (अंकेक्षक) रिपोर्ट आदेश 2016 के अनुच्छेद–3 के खंड (x) के तहत, अंकेक्षक के पूछताछ का क्षेत्र वर्ष के दौरान हुए कपटों जिन पर ध्यान दिया गया है तथा सूचना दी गई हो तक ही सीमित है। व्याख्या कीजिए।

12 स्थिति की गलत जानकारी प्रस्तुत करने के उद्देश्य से की गयी हेर–फेर की खोज एक बड़ा बुद्धिमत्ता का कार्य है। सामान्यतः ये कपट किस प्रकार से किए जाते हैं। स्पष्ट करते हुए व्याख्या कीजिए।

## v/;k;&6 Lopkfyr okrkj.k esa vad{k.k &

13. कुछ बिंदु बताइये जिन पर अंकेक्षक को कंपनी के स्वचालित वातावरण की समझ प्राप्त करना चाहिए।

14 कंपनी की IT प्रणाली व स्वचालित वातारण की समझ प्राप्त करने के बाद अंकेक्षण को IT प्रणाली से उत्पन्न जोखिम की समझ प्राप्त करना होती है। उन जोखिमों को विस्तार से बताइये।

## v/;k;&7 vad{k.k uewuk

15 एक नई सोच है कि अंकेक्षण की परम्परागत प्रक्रिया आर्थिक रूप से अपव्ययी है, क्योंकि सभी प्रयास बिना अपवाद के सभी लेन–देनों को चैक करने में किए जाते हैं। व्याख्या कीजिए।

16. अपनायी गयी चैकिंग की सीमा अंकेक्षक का प्राथमिक निर्णयाधिकार होता है। यदि अंकेक्षक अर्ध चैकिंग के आधार पर राय बनाते हैं, तो यह उनके हित में होगा कि वह ऐसे मानक व तकनीक अपनाएँ, जो व्यापक रूप से अनुसरित हों तथा जिनका मान्य आधार हो। व्याख्या कीजिए।

## v/;k;&8 fo'ys"k.kkRed i.kkfy;k

17. खातों में गलतियों तथा हेर–फेर के खुलासों के लिए नियमित प्रक्रियाओं पर निर्भर नहीं रहा जा सकता इसलिए कुछ और प्रक्रियाओं को भी प्रयोग में लाया जाता है, जैसे प्रवृत्ति तथा अनुपात विश्लेषण। विश्लेषणात्मक प्रणालियों का अर्थ बताते हुए स्पष्ट व्याख्या कीजिए।



© The Institute of Chartered Accountants of India

18 विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं के उदाहरण दीजिए जो अपने साथ व्यवसाय की वित्तीय जानकारियों के साथ उनकी तुलनात्मक जानकारियों को भी शामिल करती हैं।

## v/;k;& 9 foÙkh; fooj.kks dh enks dk vid{k.k

19 अंकेक्षकों की फर्म ABC Co. के A अंकेक्षण XYZ Ltd. का अंकेक्षण करते है तथा रिकार्डेड क्रय को चैक करते समय उन्होंने उन सभी बुनियादी दस्तावेजों PPE (Property, Plant and Equipment) को सत्यापित करना चाहा जो कि अंकेक्षण की जाने वाली संस्था के नाम से हैं। जमीन, भवन के क्रय के स्वामित्व के बारे में अंकेक्षण ठोस सबूत चाहते है। अंकेक्षक को चिंता है कि संस्था द्वारा रखे जाने वाले तथा वित्तीय विवरणों में रिकार्ड किए जाने वाले PPE पर संस्था के विधिक स्वामित्व अधिकार हैं या नहीं। अंकेक्षक को सलाह दीजिए।

20 समयावधि समाप्ति पर अदृष्य स्थायी संपत्तियों का अस्तित्व स्थापित करने वाली अंकेक्षण प्रक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइये।

## v/;k; & 10 diiuh vid{k.k

21 संयुक्त लेखा परीक्षकों के रूप में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को नियुक्त करने की प्रथा बड़ी कंपनियों एवं निगमों में काफी व्यापक है। संयुक्त लेखा परीक्षकों के लाभ बताते हुए व्याख्या कीजिए।

22 कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, कंपनी के अंकेक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार अंकेक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करना चाहिए। रिपोर्ट/प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या कीजिए।

23 लेखा परीक्षक को अपने द्वारा जॉचे गये खातों के बारे में कंपनी के सदस्यों के लिए एक रिपोर्ट तैयार करना होगा। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए।

## v/;k;&11 vid{k.k fjiksVZ

24 वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण के लिए कोई विकल्प नहीं है, जबकि वित्तीय विवरणों पर राय बनाने वाले लेखा परीक्षक के संदर्भ में लेखा परीक्षण रिपोर्ट में प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों का संचार करेगा। विश्लेषण कीजिए।

25 अंकेक्षक की रिपोर्ट को यह भाग सम्मिलित करना चाहिए, 'राय के लिए आधार' शीर्षक के साथ राय बनाने वाले भाग को सीधे शामिल करना चाहिए। इस 'राय के आधार' भाग में क्या शामिल है विवेचना कीजिए।

## v/;k; & 12 cid vid{k.k

26(a) अग्रिम, आमतौर पर बैंक की परिसम्पत्तियों का प्रमुख हिस्सा होता है। बड़ी संख्या में ऋणी हैं, जिनके लिए विविध प्रकार के अग्रिम प्रदान किये जाते है। अग्रिमों के अंकेक्षण के लिए अंकेक्षक से प्रमुख रूप से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। अग्रिमों का अंकेक्षण करने में



© The Institute of Chartered Accountants of India

अंकेक्षक मुख्य रूप से अन्य बिंदु के साथ ही तुलन पत्र में अग्रिम के संबंध में शामिल राशि शेष तुलन पत्र की तारीख में बकाया है, के बारे में साक्ष्य प्राप्त करने के लिए चिंतित होते हैं। विवेचना कीजिए ।

(b) अंकेक्षक को अग्रिमों से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के अध्ययन तथा मूल्यांकन से अग्रिमों के बारे में पर्याप्त तथा उचित अंकेक्षण साक्ष्य जुटाना चाहिए। बैंकों के अंकेक्षण के संदर्भ में व्याख्या कीजिए।

## v/;k; & 13 fofHkUu i:dkj dh l:LFkkvk: dk v:d{k.k

27(a) सरकारी व्ययों का अंकेक्षण राजकीय अंकेक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसे C&AG के ऑफिस द्वारा किया जाता है। व्ययों के अंकेक्षण के लिए मूल मानदण्डों का समुच्चय यह आश्वासन दिलाता है, कि उन सीमाओं के भीतर व्यय करने में समर्थ अधिकारियों द्वारा अधिकृत कोषों के प्रावधान रखे गये हैं, जिनके भीतर व्यय किए जाना हैं। उन मानदण्डों का वर्णन कीजिए।

(b) महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक के कर्त्तव्यों को विस्तार से बताइये।

28 शिक्षण संस्थाओं के अंकेक्षण करने में विशेष चरण क्या होते हैं ?

## l>k;: x;: mÙkj@l:d:r

## mÙkj & cg:fodYih; i:'u

1. (a)
2. (c)
3. (a)
4. (d)
5. (d)
6. (b)
7. (a)
8. (c)
9. (b)
10. (a)

### fooj.kkRed i:'u

1¼i½ xyr ¼& धारा 139(6) के अंतर्गत, सरकारी कंपनी के अलावा किसी अन्य कंपनी के प्रथम लेखा परीक्षक की नियुक्ति कंपनी के पंजीकरण की तिथि से 30 दिनों के भीतर निदेशक मंडल द्वारा की जावेगी।



© The Institute of Chartered Accountants of India

(ii½ xyr ¼& अधिनियम की धारा 140(2) के अनुसार – वह लेखा परीक्षक, जिसने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफे की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर कंपनी एवं रजिस्ट्रार के समक्ष निर्धारित प्रारूप ADT-3 (CAAR के नियम–8 के अनुसार) विवरण दाखिल करेगा।

¼iii½ xyr ¼& SA- 210 'अंकेक्षण की शर्तों को स्वीकार करना' के अनुसार– अंकेक्षण के लिए पूर्व शर्त, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रबंधन के समझौते और जहां उपयुक्त हो स्वीकार्य वित्तीय रिपोटिंग ढांचे के प्रबंधन द्वारा उपयोग किए जा सकते है, जिस आधार पर एक अंकेक्षण आयोजित किया जाता है।

¼iv½ xyr ¼& लेखा परीक्षक कार्य के आचरण और प्रबंधन की सुविधा के लिए अंकेक्षण संस्था के प्रबंधन के साथ नियोजन के तत्वों पर चर्चा करना तय कर सकता है।

(v½ xyr ¼& SA- 300 'वित्तीय विवरणों की एक अंकेक्षण योजना' के अनुसार योजना अंकेक्षण का असतत चरण नहीं है, बल्कि एक नित्य ओर पुनरावृत्ति प्रक्रिया है जो अक्सर पिछले अंकेक्षण के पूरा होने के कुछ समय बाद (इसके संबंध में) शुरू होती है और वर्तमान अंकेक्षण जुड़ाव के पूरा होने तक जारी रहती है। लेखा परीक्षक एक समग्र अंकेक्षण रणनीति की स्थापना करेगा, जो अंकेक्षण के कार्य क्षेत्र, समय और दिशा को निर्धारित करता है और अंकेक्षण योजना का विकास करती है।

¼vi½ xyr ¼& उद्देश्य परीक्षा सही परीक्षा के वास्तविक कार्य को पेश करती है और क्या वे वित्तीय परिणाम और अन्य के बारे में एक सत्य और निष्पक्ष नतीजा देते हैं, यह आंकलन करने के लिए एक विचार के साथ उपक्रम के लेखांकन बयानों की गंभीर परीक्षा और जांच की जाती है।

¼vii½ xyr ¼& हांलाकि, जॉच महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा प्रमाण प्रदान कर सकती है, और यहां तक कि किसी गलत विवरण के सबूत का उत्पादन भी कर सकता है, अकेले पूछताछ के केवल सामान्य रूप से पुष्टि के स्तर पर महत्वपूर्ण गलत विवरण की अनुपस्थिति के लेखा परीक्षा सबूत प्रदान नहीं करता है और ना ही प्रभावी और कुशल ऑपरेटिंग के।

¼viii½ xyr ¼& जोखिमों का आंकलन अंकेक्षण प्रक्रियाओं पर आधारित है, ताकि उस उद्देश्य के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करने और लेखा परीक्षा में प्राप्त साक्ष्य प्राप्त हो सकें। जोखिम का आंकलन सटीक माप के लिए सक्षम किसी मामले की बजाय पेशेवर निर्णय का मामला है।

¼ix½ xyr ¼& कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अनुसार– कंपनी अधिनियम की धारा 54 के अंतर्गत एक कंपनी बट्टे पर अंश जारी नहीं करेगी, सिवाय स्वेट समता अंशो के।

¼x½ xyr ¼& अदृश्य संपत्ति एक ऐसी पहचान योग्य गैर मौद्रिक संपत्ति है, जिसका यद्यपि भौतिक अस्तित्व नहीं होता, फिर भी माल या सेवा कि आपूर्ति तथा उत्पादन मे काम लाने के



© The Institute of Chartered Accountants of India

लिए या दूसरों को किराये पर देने के लिए या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए इसको धारण किया जाता है।

2(a) एक अंकेक्षक, जिसे कार्य के पूरा होने के पहले कार्य को बदलने के लिए अनुरोध किया जाता है जो कि एक निचले स्तर के आश्वासन को प्रदान करता है, को ऐसा करने के औचित्य पर विचार करना चाहिए। ग्राहक द्वारा अंकेक्षक से कार्य बदलने के लिए अनुरोध निम्न कारणों से हो सकता है।

1. परिस्थितियों में बदलवों द्वारा सेवा की आवश्यकता को प्रभावित करना।

2. मूल रूप से अनुरोधित अंकेक्षण या संबंधित सेवा कि प्रकृति के रूप में एक गलतफहमी है।

3. कार्य के दायरे पर प्रतिबंध चाहे प्रबंधन द्वारा या परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हो।

(b) फर्म की नीतियों और प्रक्रियाओं को उचित आश्वासन देने के लिए डिजाइन किया गया है, कि गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली से संबंधित नीतियों और प्रक्रिया प्रासंगिक, पर्याप्त, संचालन सक्रिय रूप से और व्यवहार में अनुपालित की जाती है। इस तरह की नीतियों और प्रक्रियाओं में प्रतिष्ठान की प्रणाली की गुणवत्ता नियंत्रण के निरंतर विचार तथा मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिसमें पूर्ण किए गए कार्यों की चयन का आवधिक निरीक्षण भी शामिल है।

गुणवत्ता नियंत्रण नीतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करने का उद्देश्य एक मूल्यांकन प्रदान करना है।

(a) पेशेवर मानकों का पालन और विनियामक और कानूनी आवश्यकताएं,

(b) क्या गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली को उचित रूप से डिजाइन किया गया है, सक्रिय रूप से लागू किया गया है और

(c) क्या फर्म की गुणवत्ता नियंत्रण नीतियों और प्रक्रियाओं को उचित रूप से लागू किया जाता है इसलिए कि फर्मों या कार्य भागीदारों द्वारा जारी की गई रिपोर्ट परिस्थितियों में उपयुक्त है।

उचित इकाई कर्मियों द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही हो, ताकि गुणवत्ता नियंत्रण नीतियों और प्रक्रियाओं के लिए तुरंत आवश्यक विधियों को बनाया जा सके।

3(a) चार्टर्ड एकाउंटेंट की एक जिम्मेदारी है कि उन संदर्भों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र रहे जिसमें वे कार्य करते है, स्वंतत्रता के लिए खतरे और खतरों को खत्म करने के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपाय हैं।

इस संबंध में निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांत है :–



© The Institute of Chartered Accountants of India

1. जनता के लिए, अंकेक्षण की गुणवत्ता में दृढ़ता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि अंकेक्षक को हमेशा स्वतंत्र होना चाहिए और उन संस्थाओं से स्वतंत्र होना प्रतीत होना चाहिए जिनका वे अंकेक्षण कर रहे हैं।

2. अंकेक्षण के मामले में प्रमुख मूलभूत सिद्धांत अखण्डता निष्पक्षता और पैशेवर संदेह है, जिनके लिए आवश्यक है कि अंकेक्षक स्वतंत्र हो।

3. किसी भी कार्य को लेने से पहले एक अंकेक्षक को ध्यान से विचार करना चाहिए कि क्या इसमें उसकी स्वतंत्रता के लिए खतरे शामिल हैं।

4. जब ऐसे संदेह मौजूद हो, तब अंकेक्षक को कार्य से हट जाना चाहिए। अथवा उन सुरक्षा उपायों को करना चाहिए जो उन्हें समाप्त करते हैं।

5. यदि अंकेक्षक विश्वसनीय और पर्याप्त सुरक्षा उपायों को लागू नहीं कर पा रहे है, तो उसे काम को स्वीकार नहीं करना चाहिए।

3¼**b**½ Lo;a leh{kk vk'kadk,a] जो किसी भी फैसले या निष्कर्ष की समीक्षा के दौरान पिछले अंकेक्षण या गैर अंकेक्षण परीक्षा कार्य (गैर अंकेक्षण सेवाओं) में शामिल है किसी अंकेक्षक द्वारा किसी संस्था को प्रदान की जाने वाली किसी भी व्यवसायिक सेवाएं अंकेक्षण परीक्षा या समीक्षा के अलावा वित्तीय विवरणों में शामिल हैं। इसमें प्रबंधन सेवाएं, अंतरिक अंकेक्षण परीक्षा, निवेश सलाहकार सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली आदि का डिजाइन और कार्यान्वयन शामिल है या जब अंकेक्षण टीम का कोई सदस्य पहले से ग्राहक का एक डायरेक्टर या वरिष्ठ कर्मचारी था। ऐसी परिस्थितियां जहां ऐसे खतरे परिदृष्य में आते हैं। (i) जब एक अंकेक्षक हाल ही में कंपनी के एक निदेशक या वरिष्ठ अफसर रहे हों और (ii) जब अंकेक्षकों ने उन सेवाओं को किया जो कि स्वयं अंकेक्षण परीक्षा के विषय है।

4(a) अंकेक्षक को अपने काम की योजना बनाना चाहिए कि वह प्रभावी अंकेक्षण के लिए समय पर कुशल तरीके से संचालन कर सकें। योजना ग्राहक के व्यवसाय के ज्ञान के आधार पर होना चाहिए।

योजनाओं को अन्य बातों के साथ कवर करने के लिए बनाया जाना चाहिए।

(a) ग्राहक की लेखा प्रणाली, नीतियों और आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करना,

(b) आतंरिक नियंत्रण पर निर्भर होने की उम्मीद को स्थापित करना,

(c) अंकेक्षण प्रक्रियाओं की प्रकृत्ति, समय और क्षेत्र का निर्धारण और प्रोग्रामिंग करना,

(d) किए जाने वाले कार्य का समन्वयन करना,

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रश्न में दिया गया कथन आंशिक रूप से सही है,



© The Institute of Chartered Accountants of India

4(b) अंकेक्षक, अंकेक्षण के दौरान आवश्यक समग्र अंकेक्षण रणनीति और अंकेक्षण योजना को सामयिक करेगा और बदल देगा। अप्रत्याशित घटनाओं, परिस्थितियों में परिवर्तन या अंकेक्षण प्रक्रिया के परिणामों से प्राप्त अंकेक्षण सबूत के परिणामस्वरूप, योजना की गयी प्रकृति, आगे की अंकेक्षण प्रक्रियाओं का समय और सीमा, मूल्यांकन जोखिमों के संशोधित विचार के आधार पर लेखा परीक्षक को समग्र अंकेक्षण रणनीति और अंकेक्षण योजना को संशोधित करने की आवश्यकता हो सकती है। ऐसा तब हो सकता है, जबकि अंकेक्षण में ध्यान में आयी जानकारी उस जानकारी से महत्वपूर्ण रूप से अलग होती है, जो कि उसे अंकेक्षण प्रक्रियाओं की योजना बनाते समय प्राप्त थीं। उदाहरण के लिए मूल प्रक्रियाओं के प्रदर्शन के माध्यम से प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य नियंत्रण परीक्षणों के माध्यम से प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य का विरोध कर सकते हैं।

5(a) लेखा परीक्षा की योजना में कार्य के लिए समग्र अंकेक्षण की रणनीति बनाने और अंकेक्षण योजना का विकास करना शामिल है। पर्याप्त योजनाओं में वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण को कई तरह से लाभान्वित किया गया है जिसमें निम्नलिखित शामिल है :–

1. अंकेक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उचित ध्यान देने के लिए अंकेक्षक की सहायता करना।
2. लेखा परीक्षक की सहायता से समय–समय पर संभावित समस्याओं को हल किया जा सकता है।
3. लेखा परीक्षक की मदद से अंकेक्षण कार्य को व्यवस्थित और प्रबंधित किया जा सके, ताकि वह कुशल तथा प्रभावी तरीके से किया जाये।
4. प्रत्याशित जोखिमों का उत्तर देने के लिए योग्यता स्तरों और क्षमता के साथ कार्यदल के सदस्यों के चयन में सहायता और उनके लिए उचित काम को सौंपना।
5. कार्य दल के सदस्यों की दिशा और पर्यवेक्षण की सुविधा और उनके काम की समीक्षा करना।
6. अवयवों के लेखा परीक्षकों और विशेषज्ञों द्वारा किए गए कार्यो के समन्वय में जहां उपयुक्त हो, सहायता करना।

(b) योजना अंकेक्षण का असतत चरण नहीं है, बल्कि एक नित्य और पुनरावृत्ति प्रक्रिया है, जो अक्सर पिछले अंकेक्षण के पूरा होने के कुछ समय बाद (या इसके संबंध में) शुरू होती है और वर्तमान अंकेक्षण जुड़ाव के पूरा होने तक जारी रहती है। हालांकि योजना में, कुछ गतिविधियों और समय पर प्रक्रियाओं के समय पर विचार शामिल है, जिन्हें आगे की अंकेक्षण प्रक्रियाओं के प्रदर्शन से पहले पूरा करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए नियोजन में लेखा परीक्षक की पहचान और महत्वपूर्ण गलती के जोखिम के आकंलन से पहले विचार करने की आवश्यकता शामिल है, जैसे –

1. जोखिम मूल्यांकन प्रक्रियाओं के रूप में लागू होने वाली विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएँ



© The Institute of Chartered Accountants of India

2. संस्था के लिए लागू कानूनी और नियामक ढांचे की एक सामान्य समझ प्राप्त करना और इकाई उस ढांचे के साथ पालन कर रही है।

3. महत्वता का निर्धारण

4. विशेषज्ञों की भागीदारी

5. अन्य जोखिम मूल्यांकन प्रक्रियाओं का प्रदर्शन

6(a) अंकेक्षण एक तार्किक प्रक्रिया है। एक लेखा परीक्षक को स्थिति की वास्तविकताओं का आंकलन करने, खाते के ब्यौरे की समीक्षा करने और इस तरह के खातों की सच्चाई और निष्पक्षता के बारे में विशेषज्ञ राय देने के लिए कहा जाता है। यह वह तब तक नहीं कर सकता, जब तक वह वित्तीय विवरणों की निष्पक्ष जांच ना कर ले।

वस्तुनिष्ठ परीक्षा, जटिल परीक्षा के वास्तविक कार्य को पेश करती है और क्या वे वित्तीय परिणाम और अन्य के बारे में एक वास्तविक और निष्पक्ष नतीजा देते है, यह आंकलन करने के लिए गए विचार के साथ उपक्रम के लेखांकन बयानों की गम्भीर परीक्षा और जांच की जाती है। एक लापरवाह और लापरवाही परीक्षा और मूल्यांकन पर स्थापित एक राय, अंकेक्षक को व्यावसायिक स्थिति और प्रतिष्ठा के परिणामी नुकसान के साथ कानूनी कार्यवाही का खुलासा कर सकती है। अपने फैसले पर पहुंचने के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे साक्ष्य की जरूरत है।

अंकेक्षण के साक्ष्य को निष्कर्ष पर पहुंचने में लेखा परीक्षक द्वारा उपयोग की जाने वाली जानकारी के आधार पर हो सकता है, जिस पर अंकेक्षक की राय आधारित है। लेखा परीक्षा के साक्ष्य में वित्तीय विवरणों और अन्य सूचनाओं के अंतर्गत लेखा रिकार्ड में शामिल दोनों जानकारी शामिल हैं।

vkj vf/kd foLr`r :i e] y[kk lk{; e 'kkfey g &

(i) y[kk vfHky[kk e fufgr tkudkjh & लेखा रिकार्ड प्रारंभिक लेखा प्रविष्टियों और सहायक रिकार्ड जैसे चैक और इलेक्ट्रानिक फंड स्थानांतरण के रिकार्ड शामिल है बीजक, ठेके, सामान्य और सहायक लेजर पत्रिका प्रविष्टियां और वित्तीय कर्त्तव्यों के लिये अन्य समायोजन जो जर्नल प्रविष्टियों में सक्रिय नहीं है और रिकॉर्डिंग जैसे कार्यपत्रक और स्प्रेडशीट लागत आवंटन गणनाओं, समन्वय और प्रकटीकरण का समर्थन करते हैं।

(ii) vU; tkudkjh tk y[kkdu d fjdkM dk iekf.kr djuh g vkj foÙkh; fooj.kk dh lPph vkj fu"i{k iLrfr d ihN y[kk ijh{kd d rd dk Hkh leUo; djrh gA अन्य सूचनाएं जिन्हें अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है उदाहरण के लिए– बैठकों की मिनट्स व्यापार विनिमय प्राप्तियों और व्यापार भुगतान की लिखित पुष्टियां मैनुअल जिनमें कि आंतरिक नियंत्रण आदि के विवरण शामिल हैं इत्यादि। लेखा अभिलेखों और अन्य सूचनाओं के परीक्षणों का एक संयोजन आमतौर पर



© The Institute of Chartered Accountants of India

लेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय विवरणों पर अपनी राय का समर्थन करने के लिए उपयोग किया जाता है।

(b) vad{kd d er vkj fjikV dk leFku nu d fy, y[kk ijh{kk d lk{; vko';d gA यह प्रकृति में संचयी है और मुख्य रूप से अंकेक्षण के दौरान की गयी अंकेक्षण प्रक्रियाओं से प्राप्त किया जाता है। हालांकि इसमें पिछले स्त्रोतों जैसे अन्य स्त्रोतों से प्राप्त जानकारी शामिल हो सकती है। इकाई के अंदर और बाहर के अन्य स्त्रोतों के अलावा, इकाई के लेखांकन रिकॉर्ड अंकेक्षण साक्ष्य का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है। इसके अलावा जानकारी जो लेखा साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है, एक प्रबंधन के विशेषज्ञ के काम का उपयोग करके तैयार हो सकती है। अंकेक्षण के साक्ष्य में दोनों जानकारी शामिल है, जो प्रबंधन के अभिकथन का समर्थन करती है और पुष्टि करती है और वह जानकारी भी जो कि इन अभिकथनों से विरोधाभासी हैं। इसके अलावा कुछ मामलों में सूचना की अनुपस्थिति (उदाहरण के लिए, एक अनुरोध किया गया निरूपण प्रदान करने के लिए प्रबंध का इनकार) का उपयोग अंकेक्षक द्वारा किया जाता है और इसलिए अंकेक्षण साक्ष्य भी बनाते हैं ।

अंकेक्षक की राय बनाने में अंकेक्षण के कार्यों में मुख्य कार्य अंकेक्षण साक्ष्य को प्राप्त करना तथा मूल्यांकन करना होता है। अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने हेतु अंकेक्षण प्रक्रियाओं में पूछताछ के साथ–साथ निरीक्षण, अवलोकन, आशय, पुनः गणना, पुनः प्रदर्शन और विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं अक्सर संयोजनों में शामिल होती हैं। हालांकि, जांच महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा प्रमाण प्रदान कर सकती है और यहां तक कि किसी गलत विवरण के साक्ष्य को बना सकती है। अकेले पूछताछ केवल सामान्य रूप से पुष्टि के स्तर पर भौतिक गलत विवरण की अनुपस्थिति के पर्याप्त अंकेक्षण साक्ष्य प्रदान नहीं करता है, और ना ही नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता प्रदान नहीं करता है।

जैसा कि SA-200 में 'स्वतंत्र लेखा परीक्षक के समग्र उद्देश्य और अंकेक्षण पर मानक के साथ एक अंकेक्षण के आचरण' में समझाया गया है, जब अंकेक्षक ने अंकेक्षण जोखिम को कम करने के लिए पर्याप्त उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त कर लिया है, (यानि जब कि वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण रूप से गलत बताये गये हैं, पर अंकेक्षण एक अनुचित मत दे सकता है – का जोखिम) एक स्वीकार्य रूप से निम्न स्तर पर। साक्ष्य की पर्याप्तता और उपयुक्तता सह–संबंधित है।

7(a) vad{kd] vad{k.k d iy[kk dk ,d vad{k.k Qkby e bdVBk djx और अंकेक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद समय पर अंकेक्षण की अंतिम फाईल की प्रशासनिक प्रक्रिया को पूरा करेंगे।

SQC-1 ''अंकेक्षण और ऐतिहासिक वित्तीय सूचनाओं की समीक्षा और अन्य आश्वासन और संबंधित सेवाओं का प्रदर्शन करने बाकी कंपनियों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण'' के लिए आवश्यक है कि अंकेक्षण के गठन के समय पर पूरा होने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं



© The Institute of Chartered Accountants of India

की स्थापना की जाये। एक उपयुक्त समय सीमा जिसके भीतर अंकेक्षण की सभा को पूरा करना है, जो सामान्यतः अंकेक्षक की रिपोर्ट की तारीख के 60 दिन बाद नहीं हो सकती है।

अंकेक्षक की रिपोर्ट की तिथि के बाद अंतिम अंकेक्षण की समाप्ति का कार्य एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसमें नए अंकेक्षण प्रक्रियाओं के प्रदर्शन या नए निष्कर्षो की ड्राईंग शामिल नहीं है। हालांकि, संयोजन प्रक्रिया के दौरान अंकेक्षण प्रलेखन में बदलाव किया जा सकता है, यदि ये प्रकृति में प्रशासनिक हैं।

ऐसे परिवर्तनों के उदाहरणों में शामिल हैं :–

* निलंबित प्रलेखन को हटाना या त्याग करना।
* वर्किंग पेपर्स की छँटाई, क्रमवार जमाना तथा क्रॉस संदर्भित करना।
* फाईल संयोजन प्रक्रिया से संबंधित समापन चैकलिस्ट पर हस्ताक्षर करना।
* अंकेक्षकों की रिपोर्ट की तारीख से पहले संलिप्त दल के संबंधित सदस्यों के साथ अंकेक्षण के प्रमाणपत्रों का प्रलेखन, चर्चा और उन पर सहमति व्यक्त की गयी है।

अंतिम अंकेक्षण की समाप्ति के पूरा होने के बाद लेखा परीक्षक अपनी अवधारण अवधि के अंत से पहले, किसी भी प्रकृति के अंकेक्षण प्रलेखन को नहीं हटायेगा या त्याग नहीं करेगा।

SQC-1 की आवश्यकता है कि प्रलेखन में जुड़े दस्तावेजों को रखने हेतु योजनाएं तथा प्रक्रियाएं स्थापित की जायें। अंकेक्षण के लिए अवधारणा अवधि आमतौर पर अंकेक्षक की रिपोर्ट से सात वर्षों से कम नहीं हैं अथवा समूह के अंकेक्षक की रिपोर्ट की तिथि यदि बाद में हों,तो।

7(b) लेखांकन के निरंतर चलने के आधार पर, वित्तीय विवरण इस धारणा पर तैयार किये गये हैं, कि इकाई एक निरंतर चलने वाली संस्था है और निकट भविष्य के लिए अपने कार्यो को जारी रखेगी। जब लेखांकन के निरंतर चलने का आधार उपयुक्त है तो सम्पत्ति तथा देयताएं इस आधार पर दर्ज की जाती है कि इकाई अपनी सम्पत्ति की वसूली करने में सक्षम हो सकती है और व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में अपनी देनदारियाँ का निर्वहन कर सकती है।

lkuke i;fr"Bku dk lc/k e vid{kd dk mÌs'; &

vid{kd dk mÌs'; g &

(a) प्रबंधन से लिखित अभ्यावेदन प्राप्त करने के लिए और जहां उपयुक्त हो, प्रशासन के जिम्मेदार जो वे मानते है, कि उन्होंने वित्तीय विवरणों की तैयारी और अंकेक्षक को प्रदान की गयी जानकारी की पूर्णता के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है,

(b) वित्तीय विवरणों के लिए प्रासंगिक अन्य अंकेक्षण साक्ष्य का समर्थन करने के लिए या लिखित अभ्यावेदन के माध्यम से वित्तीय विवरणों के विशिष्ट तर्को को, यदि आवश्यक हो, तो अंकेक्षक द्वारा आवश्यक या अन्य SAs द्वारा आवश्यक तथा,



© The Institute of Chartered Accountants of India

(c)प्रबंधन द्वारा प्रदान किये गये लिखित अभ्यावेदनों के लिये उचित रूप से प्रतिक्रिया करने के लिए और जहां उपयुक्त हो, जो प्रशासन के प्रभारी हैं या यदि प्रबंधन या जहां उपयुक्त हो, जो कि शासन के प्रभारी हैं, वे लेखा परीक्षक द्वारा अनुरोधित लिखित अभ्यावेदन नहीं प्रदान करते हैं।

8 (a) vads{k.k izys[ku & अंकेक्षण प्रलेखन पर SA-230 'अंकेक्षण प्रलेखन' का निष्पादन अंकेक्षण प्रक्रियाओं के रिकार्ड प्रासंगिक अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त किए गए है और अंकेक्षक तक पहुँचे निष्कर्ष (जैसे 'काम कर रहे कागजात' या 'काम के कागजात' शब्द भी कभी कभी उपयोग होते है।)

vads{k.k izys[ku dh izd`fr &

vads{k.k izys[ku miyC/k djkrk gS &

¼a½ अंकेक्षक के समग्र उद्देश्य की उपलब्धि के निष्कर्ष के बारे में अंकेक्षण के आधार का प्रमाण तथा

¼b½ यह प्रमाण कि SAs और लागू कानूनी और नियामक आवश्यकताओं के अनुसार लेखा परीक्षा की योजना बनाई गई और निष्पादित की गई है।

¼b½ fyf[kr fu:i.k@izfrfuf/kRo ds lac/k esa ys[kk ijh{kd ds mÌs'; &

लेखा परीक्षक के उद्देश्य है :–

¼a½ fyf[kr vH;kosnu izkIr djuk

प्रबंधन से लिखित अभ्यावेदन प्राप्त करना। यह प्रबंधन का भी मानना है कि इसमें वित्तीय विवरणों की तैयारी और लेखा परीक्षक को प्रदान की गई जानकारी की पूर्णता के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली हैं,

¼b½ vU; lk{;ksa dk leFkZu djus ds fy,&

लिखित अभ्यावेदन के माध्यम से वित्तीय विवरणों के लिए प्रासंगिक अन्य लेखा परीक्षा साक्ष्य या वित्तीय कर्त्तव्यों में विशिष्ट तर्कों का समर्थन करना तथा

¼c½ mfpr :i ls izfrfØ;k djus ds fy, &

प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए लिखित अभ्यावेदनों के लिए उचित रूप से प्रतिक्रिया करने के लिए या अगर अंकेक्षक द्वारा अनुरोध किए गए लिखित अभ्यावेदन प्रदान नहीं करता है।

9(a) vkarfjd fu;=.kksa ds izHkkoh ifjpkyu ds ckjs esa ys[kk ijh{kk ds lk{; izkIr djrs le; अंकेक्षक मानता है कि वे कैसे लागू किए गए थे, इस अवधि के दौरान जिस निरंतरता को लागू किया गया था और जिनके द्वारा वे लागू किए गए थे। प्रभावी परिचालन की अवधारणा यह मानती है कि कुछ विचलन हो सकते हैं। निर्धारित नियंत्रणों से विचलन ऐसे कारकों के कारण हो सकते हैं, जैसे कि प्रमुख कमियों में परिवर्तन, लेन–देन की मात्रा



© The Institute of Chartered Accountants of India

और मानवीय त्रुटि के दौरान मौसमी उतार–चढ़ाव से जब विचलन का पता लगाया जाता है तो अंकेक्षक इन मामलों के बारे में विशेष पूछताछ करता है, खासकर प्रमुख आंतरिक नियंत्रण कार्यो में कर्मचारी के समय में बदलाव। अंकेक्षक यह सुनिश्चित करता है, कि नियंत्रण की जांच उचित रूप से इस तरह की अवधि में बदलाव या उतार–चढ़ाव को कवर करती है।

नियंत्रण के परीक्षण के परिणामों के आधार पर लेखा परीक्षक को मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या आंतरिक नियंत्रण डिजाइन और नियंत्रण जोखिम के प्रारंभिक मूल्यांकन में विचार किए जाने के रूप में कार्य करते हैं। विचलन के मूल्यांकन के परिणामस्वरूप लेखा परीक्षक द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है कि नियंत्रण जोखिम के मूल्यांकन स्तर को संशोधित करने की आवश्यकता है। ऐसे मामलों में, लेखा परीक्षक नियोजित मूल प्रक्रियाओं को प्रकृति, समय और सीमा को संबोधित करेगा।

लेखा परीक्षक द्वारा प्राप्त वास्तविक प्रक्रियाओं और अन्य लेखा परीक्षा साक्ष्य के परिणामों के आधार पर लेखा परीक्षा के समापन से पहले, अंकेक्षक को यह विचार करना चाहिए कि क्या नियत्रंण जोखिम का आंकलन किया गया है। निर्धारित लेखा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली से विचलन के मामले में, अंकेक्षक उनके निहितार्थ पर विचार करने के लिए विशिष्ट जांच करेगा। जहां इस तरह की जांच के आधार पर लेखा परीक्षक ने निष्कर्ष निकाला है, कि विचलन ऐसा है कि नियंत्रण जोखिम का प्रारंभिक मूल्यांकन समर्थित नहीं है, वह उसी में संशोधित करेगा, जब तक कि नियंत्रण के अन्य परीक्षणों से प्राप्त लेखा परीक्षा के साक्ष्य का मूल्यांकन उस मूल्यांकन का समर्थन करता है। जहां लेखा परीक्षक ने निष्कर्ष निकाला है कि नियंत्रण या जोखिम के मूल्यांकन स्तर को संशोधित करने की आवश्यकता है, वह अपनी नियोजित मूल प्रक्रियाओं की प्रकृति समय और सीमा को संबोधित करेगा।

यह सुझाव दिया गया है, कि आंतरिक नियंत्रण के वास्तविक संचालन को प्रक्रियात्मक परीक्षणों के आवेदन और गहराई से परीक्षा में जांच करना चाहिए। प्रक्रियात्मक परीक्षणों का मतलब बस प्रत्येक चरण में प्रबोधन, प्राधिकरण रिकार्डिंग और लेनदेन के प्रलेख के संबंध में प्रबंधन द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन का परीक्षण करना है, जिसके माध्यम से यह संभव है।

(b) y:[kk ijh{kd viuk i:jk y:[kk ijh{kk dk;Øe] vkrfjd fu;=.k i:.kkfy;ksa और उनके वास्तविक संचालन की समझ पाने के बाद ही तैयार कर सकता है। यदि वह इस पहलू का अध्ययन करने की परवाह नहीं करता है तो यह बहुत संभावना है कि उसका अंकेक्षण कार्यक्रम बोझिल और अनावश्यक रूप से भारी हो सकता है तथा लेखा परीक्षा का उद्देश्य पूरी तरह से प्रविष्टियों और वाउचरों में खो गया हो सकता है। यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि सिस्टम वास्तव में परिचालन में है या नहीं। अवसर, एक सिस्टम की स्थापना के बाद अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन द्वारा कोई अनावर्ती कार्यवाही नहीं की जाती है। ऐसी परिस्थितियों में लेखा परीक्षक इस वक्त पर विश्वास कर सकता है, कि जो सिस्टम परिचालन में है, उसे ऑपरेशन में पूरी तरह से नहीं लिया जा सकता है बल्कि उसका आंशिक रूप से परिचालन में होना, सर्वोत्तम है। यदि अंकेक्षक ध्यान नहीं देता है तो वह भ्रम में होगा तथा यह स्थिति सबसे बुरी होगी।



© The Institute of Chartered Accountants of India

बेहतर होगा कि लेखा परीक्षक ग्राहक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा कर सके। यह उसे नियंत्रण और निहितार्थो को आत्मसात करने के लिए पर्याप्त समय देगा और अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार करने में उसे और अधिक उद्देश्य प्राप्त करने में सक्षम बना देगा। यह व्यवस्था की कमजोरियों के प्रबंधन के बारे में जानकारी लाने और सुधार के उपायों का सुझाव देने की स्थिति में भी होंगे। किसी अन्य अंतरिम तिथि या अंकेक्षण के दौरान, वह यह जान सकता है, कि कमजोरियों को कितनी दूर कर दिया गया है।

पूर्वगामी से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कि परिचालन में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली द्वारा उपयोग किये गये अंकेक्षण कार्यक्रम की सीमा और प्रकृति काफी हद तक है। परीक्षण की जाँच करने की एक योजना का निर्णय लेने में, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का अस्तित्व और संचालन अत्यधिक महत्वूपर्ण हैं।

अपनी सामग्री और काम में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की एक उचित समझ भी अंकेक्षक को अंकेक्षण कार्यक्रम में शामिल किये जाने वाले विभिन्न क्षेत्रों में लागू होने वाली उचित अंकेक्षण प्रक्रिया पर निर्णय लेने में समझ सक्षम बनाती है।

ऐसी परिस्थितियों में जहाँ आंतरिक नियंत्रण कुछ क्षेत्रों में कमजोर माना जाता है, अंकेक्षक एक अंकेक्षण प्रक्रिया या परीक्षण चुन सकता है जो अन्यथा आवश्यक नहीं हो सकता है, वह कुछ परीक्षणों का विस्तार कर सकता है कि वह बड़ी संख्या में लेन–देन या अन्य मदों को कवर करने के लिये अन्यथा जाँच करेगा और कभी कभी वह उन्हें आवश्यक संतुष्टि लाने के लिये अतिरिक्त परीक्षण कर सकता है।

10(a) SAs 'आमतौर पर महत्वपूर्ण मिथ्यावर्णन के जोखिम' के संयुक्त मूल्यांकन की बजाय अंतर्निहित जोखिम और नियंत्रण जोखिम को अलग–अलग नहीं दिखाती है। हालाँकि, अंकेक्षक, प्राथमिक अंकेक्षण तकनीकों या प्रथाओं और व्यावहारिक विचारों के आधार पर अंतर्निहित और नियंत्रण जोखिम के अलग या संयुक्त मूल्यांकन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण मिथ्यावर्णन के जोखिम का आंकलन मात्रात्मक शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि प्रतिशत में या गैर मात्रात्मक शब्दों में। किसी भी मामले में, अंकेक्षक के लिये उचित जोखिम का निर्धारण करना, उन्हें बनाने वाले विभिन्न तरीकों से ज्यादा महत्वपूर्ण है।

उपरोक्त से निष्कर्ष निकलता है कि –

egRoi:.k feF;ko.ku dk tkf[ke ¾ vrfufgr tkf[ke X fu;=.k tkf[ke

(b) fu;=.k i;koj.k & vkrfjd fu;=.k d ?kVd – अंकेक्षक, नियंत्रण पर्यावरण की समझ प्राप्त करेगा। इस समझ को प्राप्त करने के एक भाग के रूप में अंकेक्षक इसका मूल्यांकन करेगा कि क्या –

(i) प्रबंधन ने ईमानदारी और नैतिक व्यवहार की संस्कृति का सृजन किया है तथा बनाये रखा है, तथा



© The Institute of Chartered Accountants of India

(ii) नियंत्रण वातावरण तत्वों की शक्ति, आंतरिक नियंत्रण के अन्य घटकों के लिये एक उपयुक्त आधार प्रदान करती है।

fu;=.k i;kZoj.k e: D;k ’kkfey g: \

नियंत्रण पर्यावरण में शामिल हैं –

(i) प्रशासन तथा प्रबंधन कार्य, तथा

(ii) प्रशासन और प्रबंध के रवैये वाले लोगों के व्यवहार, जागरूकता और कार्य,

(iii) नियंत्रण पर्यावरण संस्था के एक स्वर को तय करता है, जो उसके लोगों की नियंत्रण चेतना को प्रभावित करता है।

fu;=.k i;kZoj.k d: rRo – नियंत्रण पर्यावरण के तत्व जो कि नियंत्रण पर्यावरण की समझ प्राप्त करते समय प्रासंगिक हो सकते हैं, निम्न हैं :–

(a) I:pkj vkSj v:[kMrk vkSj u:frd eY;k: d: i:orZu – ये आवश्यक तत्व हैं, जो नियंत्रण, रूपरेखा और नियंत्रण की निगरानी के प्रभाव को प्रभावित करते हैं।

(b) I{kerk d: i:fr i:frc)rk – जैसे विशेष प्रबंधन के लिये क्षमता के स्तर पर प्रबंधन के विचार और उन स्तरों को आवश्यक कौशल और ज्ञान में अनुवाद करना।

(c) i:’kkIu dh ftEe:nkjh okyk: yk:xk: dh Hkkxhnkjh – उनसे जुड़े लोगों के गुण, जैसे कि –

- प्रबंधन से उनकी स्वतंत्रता,
- उनका अनुभव और कद,
- उनकी भागीदारी और उनकी जानकारी की सीमा और गतिविधियों की जाँच,
- उनके कार्यों की उचितता, जिसमें कठिन प्रश्न उठाये जाते हैं और प्रबंधन के साथ आगे बढ़ते हैं, और आंतरिक और बाहरी अंकेक्षणों के साथ उनकी बातचीत।

(d) i:c/ku dk n’ku vkSj I:pkyu ’kSyh&i:c/ku dh fo’k"krk,: tSI: &

- व्यावसायिक जोखिम लेने और प्रबंधन करने के लिये दृष्टिकोण,
- वित्तीय विवरणों की ओर रूख और कार्य,
- सूचना प्रसंस्करण और लेखा कार्य और कर्मियों के प्रति रूख।

(e) I:xBukRed <k:pk – जिस ढांचे के भीतर एक संस्था की गतिविधियों को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये योजनाबद्ध, निष्पादिन, नियंत्रित और समीक्षा की गयी है।



© The Institute of Chartered Accountants of India

(f) **ikf/kdj.k vkj ftEenkjh dk dk;l &** जैसे संचालित गतिविधियों के लिये प्राधिकरण और जिम्मेदारी किस प्रकार की जाती है, और रिश्तों और प्राधिकरण पदानुक्रम की सूचना कैसे की जाती है।

(g) **ekuo lalk/ku uhfr;k vkj iFkk,j &** उदाहरण के लिये भर्ती, अभिविन्यास, प्रशिक्षण, मूल्यांकन, परामर्श, पदोन्निति, क्षतिपूर्ति और उपचारात्मक कार्यों से संगठित नीतियाँ और प्रथाएँ।

11- **fjikfVax ¼vad{kd fjikVZ½ vkns'k] 2016 d rgr dafu;k – (CARO, 2016) –**

अंकेक्षक को कंपनी (अंकेक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016, के अनुच्छेद 3 के खंड (X) के तहत रिपोर्ट करना आवश्यक है कि क्या कंपनी द्वारा किसी भी धोखाधड़ी या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर किसी भी धोखाधड़ी को देखा या वर्ष के दौरान रिपोर्ट किया गया है। यदि हाँ, तो प्रकृति और इसमें शामिल राशि का संकेत दिया जाना है।

कंपनी (अंकेक्षक रिपोर्ट) आदेश 2016 के अनुच्छेद 3 के खंड (x) के तहत लेखा परीक्षक की जाँच का दायरा वर्ष के दौरान 'देखा या रिपोर्ट किया' धोखाधड़ी तक प्रतिबंधित है। यह ध्यान दिया जा सकता है, कि आदेश के इस खंड को रिपोर्ट करने की आवश्यकता है, कि कंपनी या उसके अधिकारी या कर्मचारियों द्वारा किसी भी धोखाधड़ी को नोटिस या रिपोर्ट किया गया है, या नहीं, वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण में धोखाधड़ी और त्रुटि पर विचार करने के लिये अंकेक्षक अपनी जिम्मेदारी से राहत नहीं पाता है। दूसरे शब्दों में, इस खंड के तहत अंकेक्षक की टिप्पणियों के बावजूद अंकेक्षक को SA-240 'वित्तीय विवरणों की एक अंकेक्षण में धोखाधड़ी से संबंधित अंकेक्षक की जिम्मेदारी' की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भी आवश्यक है।

**CARO d rgr vads{k.k izfØ;k vkj fjikfVax &**

(1) अंकेक्षण की योजना बनाते समय, अंकेक्षक को अंकेक्षण समूह में अन्य सदस्यों, धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों के लिए संवेदनशीलता के साथ चर्चा करना चाहिए। नियोजन के दौरान, अंकेक्षक को यह भी निर्धारित करने के लिए प्रबंधन की पूछताछ करना चाहिए, कि क्या प्रबंधन किसी भी ज्ञात धोखाधड़ी या संदेहास्पद धोखाधड़ी से परिचित है, कंपनी इसकी जांच कर रही है।

(2) अंकेक्षक को यह सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट की जांच करना चाहिए कि क्या कोई धोखाधड़ी मिली है या प्रबंधन द्वारा देखा गया है। अंकेक्षक को जाँच करने के लिए यदि उपलब्ध हों, तो अंकेक्षण समिति के कुछ मिनट्स की जांच करना चाहिए कि कंपनी से संबंधित धोखाधड़ी के किसी भी मामले की सूचना दी गयी है और उस पर कार्यवाही की गयी है।

अंकेक्षक को उस कंपनी पर किसी भी धोखाधड़ी के बारे में प्रबंधन से पूछताछ करना चाहिए, जिसने उस पर गौर किया है या उसे सूचित किया गया है। अंकेक्षक को इस मामले पर कंपनी में अधिकारियों सहित अन्य कर्मचारियों के साथ भी चर्चा करना चाहिए। अंकेक्षक को इस संबंध में कंपनी की बोर्ड मीटिंग की मिनिट बुक की भी जाँच करना चाहिए।



© The Institute of Chartered Accountants of India

(3) अंकेक्षक को प्रबंधन से लिखित अभ्यावेदन प्राप्त करना चाहिए :–

(i) यह लेखा और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के क्रियान्वयन और संचालन के लिए अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता है, जो धोखाधड़ी और त्रुटि को रोकने और पहचानने के लिए डिजाइन किए गए हैं।

(ii) यह विश्वास करता है कि अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षक द्वारा एकत्रित वित्तीय विवरणों में गैर सिद्ध गलत विवरण के प्रभाव, संपूर्ण रूप से लिए जाने वाले वित्तीय विवरणों के लिए व्यक्तिगत रूप से और कुल मिलाकर, दोनों में बेतरतीब हैं। ऐसी वस्तुओं का सारांश लिखित प्रतिनिधित्व में शामिल या संलग्न होना चाहिए;

(iii) यह है –

(a) अंकेक्षक को किसी भी धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी से संबंधित तथ्यों, जो कि प्रबंधन को ज्ञात किया गया है, जो उस संस्था को प्रभावित कर सकते हैं, तथा

(b) उसने अंकेक्षक को जोखिम के अपने आंकलन के परिणाम प्रकट किए हैं, कि धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों का गलत रूप से गलत अर्थ हो सकता है।

(4) चूंकि प्रबंधन गलत विधियों को ठीक करने के लिए वित्तीय वक्तव्यों को समायोजित करने के लिए जिम्मेदार है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है, कि अंकेक्षण प्रबंधन से लिखित विवरण प्राप्त कर लेते हैं कि धोखाधड़ी से उत्पन्न होने वाली किसी भी गैर कानूनी मिथ्याव्यवस्था, प्रबंधन की राय में, व्यक्तिगत रूप से और कुछ मिला कर, दोनों में से एक है। इस तरह के अभ्यावेदन पर्याप्त उपयुक्त अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक विकल्प नहीं है। कुछ परिस्थितियों में, प्रबंधन इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता है, कि अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षक द्वारा एकत्रित किए गए कुछ अशुद्ध वित्तीय विवरणों की मिथ्या विवरण हैं। इस कारण से, प्रबंधन उनके लिखित प्रतिनिधित्व शब्द जैसे कि, ''हम इस बात से सहमत नहीं है, कि वस्तुएं मिथ्या हैं, क्योंकि (कारणों का विवरण) को जोड़ सकता है।''

अंकेक्षक को यह विचार करना चाहिए, कि क्या अधिनियम की धारा 143(12) के तहत किसी भी धोखाधड़ी के बारे में उनके द्वारा सूचित किया गया है और यदि ऐसा है, तो क्या यह इस धारा के तहत सूचित किया जायेगा। यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है, कि अधिनियम की धारा 143(12) में अंकेक्षक को यह मानने के कारण है कि किसी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा धोखाधड़ी की जा रही है या वह प्रतिबद्ध है। ऐसे मामले में अंकेक्षक को केन्द्र सरकार या लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करना होगा। हालांकि इस धारा में केवल धोखाधड़ी को शामिल किया जायेगा और संदेहास्पद धोखाधड़ी शामिल नहीं होगी।

(5) जहां अंकेक्षक यह नोटिस करता है, कि कंपनी या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी द्वारा किसी भी धोखाधड़ी के जरिए देखा जा सकता है या वर्ष के दौरान सूचना



© The Institute of Chartered Accountants of India

दी गई है तो अंकेक्षक को धोखाधड़ी के अस्तित्व की रिपोर्ट में धोखाधड़ी की प्रकृति और शामिल राशि को रिपोर्ट करना आवश्यक है। उस खंड के तहत रिपोर्टिंग के लिए, अंकेक्षक निम्नलिखित पर विचार कर सकता है।

(i) इस खंड के लिए वर्ष के दौरान देखा गया या सूचना दी गयी सभी धोखाधड़ी की प्रकृति और शामिल राशि को रिपोर्ट करना होगा। जैसा कि कंपनी या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी द्वारा धोखाधड़ी के बारे में बताया गया है, केवल कवर किया गया है।

(ii) अधिनियम की धारा 143(12) के तहत धोखाधड़ी में केवल नोटिस की गयी धोखाधड़ी ही शामिल की जायेगी, संदिग्ध धोखाधड़ी नहीं।

(iii) इस खंड के तहत नोटिस की गयी और रिपोर्ट की गयी धोखाधड़ी की प्रकृति तथा शामिल राशि के बारे में रिपोर्ट करते वक्त अंकेक्षक, अंकेक्षण के मानकों में उल्लिखित महत्वपूर्णता/भौतिकता के सिद्धांत पर भी विचार कर सकते हैं।

(12) **[kkrk e: gj&Qj!** स्थिति की गलत जानकारी प्रस्तुत करने के उद्देश्य से की गयी हेर–फेर की खोज एक बड़ा बुद्धिमत्ता का कार्य है, क्योंकि सामान्यतः प्रबंधन व्यक्ति इस प्रकार के कपट से जुड़े होते हैं और यह एक पद्धति से किया गया होता है। यह कपट सामान्यतः निम्न प्रकार से किया गया होता है –

(a) आयकर तथा अन्य कर बचाने हेतु,

(b) कम मुनाफा होने के बावजूद लाभांश घोषित करना,

(c) मुनाफा होने के बावजूद लाभांश घोषित ना करना, (ऐसा अधिकांशतः शेयर बाजार में शेयर का मूल्य को हेर–फेर करने के लिए किया जाता है, ताकि कुछ विशिष्ट लोगों को कम मूल्य पर शेयर हासिल हो सकें) तथा

(d) जब प्रबंधन को वेतन मुनाफे के संबंध में दिया जाता है तो अधिक भुगतान प्राप्त करने हेतु।

(13) **fuEu fcnvk: i j v:d{kd dk d:iuh d: Lopkfyr okrkoj.k dh le> iklr dju: e: fopkj djuk pkfg, &**

- o प्रयुक्त सूचना प्रणाली (एक या अधिक अनुप्रयोग प्रणाली व उनका अर्थ)
- o उनका उद्देश्य (वित्तीय व गैर वित्तीय)
- o IT प्रणाली का स्थान– स्थानीय V/s वैश्विक
- o आर्किटेक्चर (डेस्कटॉप आधारित, ग्राहक सर्वर, वेब अनुप्रयोग, क्लाउड आधारित)
- o संस्करण (एक ही अनुप्रयोग के विभिन्न संस्करणों में कार्य व जोखिम भिन्न हो सकते हैं )



© The Institute of Chartered Accountants of India

- o प्रणाली के अंतर्गत अंतराफलक (यदि विभिन्न प्रणाली है, तो)
- o घरेलू V/s संकुलित
- o आउटसोर्स की गयी प्रक्रियाएं (IT रखरखाव व सहायता)
- o प्रमुख व्यक्ति (CIO, CISO, प्रशासक)

(14) कंपनी की IT प्रणाली व स्वचालित वातावरण की समझ प्राप्त करने के बाद अंकेक्षक को IT प्रणाली से उपार्जित जोखिम की समझ प्राप्त करना होती है।

निम्न कुछ जोखिमों पर ध्यान दिया जाता है –

- * डाटा की गलत प्रोसेसिंग, गलत डाटा की प्रोसेसिंग या दोनों
- * डाटा का अनाधिकृत उपयोग
- * डाटा में सीधा बदलाव (बैक एंड बदलाव)
- * अत्यधिक अभिगम/विशेषाधिकार अभिगम(सुपर उपयोगकर्ता)
- * कर्त्तव्यों के उचित बँटवारे का अभाव
- * प्रणाली व प्रोग्राम में अनाधिकृत बदलाव
- * प्रणाली व प्रोग्राम में उचित बदलाव लाने में विफलता
- * डाटा का नुकसान

(15) आर्थिक विचारशीलता के बिना मानव समाज में कोई प्रयास सार्थक नहीं है तथा अंकेक्षण इससे अछूता नहीं है। एक नयी सोच है कि अंकेक्षण की परंपरागत प्रक्रिया आर्थिक रूप से अपव्ययी है क्योंकि सभी प्रयास बिना विचलन के सभी लेनदेन को चैक करने में किये जाते हैं। इस कारण से नियमित चैकिंग पर अधिक जोर दिया जाता है, जो कि समय और लागत के हिसाब से उचित नहीं है। संस्था के रोजाना प्रबंध में औपचारिक आंतरिक नियंत्रण की ओर अग्रसर होने से नियमित त्रुटियों व कपट की संभावनाओं में काफी कमी आयी है व अंकेक्षण विस्तृत नियमित चैकिंग को उचित नहीं मानते क्योंकि इससे कभी कभार ही कुछ महत्वपूर्ण प्राप्त होता है। अब अंकेक्षणीय दृष्टिकोण व चैकिंग की परिसीमाओं में प्रगतिशील बदलाव आ रहा है, जहाँ गैर परिणामी नियमित चैकिंग की जगह सिद्धांतों व नियंत्रणों के प्रश्नों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। नियमित चैकिंग से हम परम्परागत विस्तृत चैकिंग व सभी प्रविष्टियों का विचार करते हैं।

(16) चैकिंग की सीमा अंकेक्षक का निर्णयाधिकार होता है। कहीं भी वैधानिक रूप से नहीं लिखा कि क्या कैसे और किस सीमा तक कार्य करना है। अंकेक्षक के लिये नमूना तकनीक अपनाना भी अनिवार्य नहीं है। उनका कार्य अपनी राय व्यक्त करना व उससे बाध्य होना है।

कार्य के अच्छे व उचित मानक सुनिश्चित करने हेतु उन्हें वह मानक व तकनीक अपनाने चाहिये, जो उन्हें उचित व्यावसायिक राय बनाने में सहायक हों। इस तथ्य के विचारानुसार यदि अंकेक्षक अर्ध चैकिंग के आधार पर राय बनाते हैं, तो यह उनके हित में होगा कि वह ऐसे मानक व तकनीक अपनाएँ, जो व्यापक रूप से अनुसरित हों व जिनका मान्य आधार हो। चूंकि नमूनों के



© The Institute of Chartered Accountants of India

सांख्यिकीय सिद्धांत वैज्ञानिक विधि पर आधारित हैं, इन पर किसी आधार रहित तकनीक की तुलना में अधिक निर्भर रहा जा सकता है।

(17) चूंकि खातों में विद्यमान गलतियों व हेर–फेर के खुलासों के लिए नियमित प्रक्रियाओं पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है, इसलिए कुछ और प्रक्रियाओं को भी प्रयोग में लाया जाता है। जैसे प्रवृत्ति व अनुपात विश्लेषण। इन प्रक्रियाओं के सामुहिक रूप से समग्र परीक्षण के रूप में जाना जाता है। इस परीक्षणों के पारित होने के साथ विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं ने बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया को हासिल कर लिया है। **SA - 520** ^^fo'y"k.kkRed i.kkfy;k** अंकेक्षण के दौरान विश्लेषणत्मक प्रक्रियाओं के प्रयोग को बताता है।

fo'y"k.kkRed ifØ;kvk dk vFk & अंकेक्षक के मानक SA - 520 ''विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं'' में विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का मतलब है कि वित्तीय तथा गैर वित्तीय डाटा के बीच स्वीकार्य संबंध के विश्लेषण द्वारा वित्तीय जानकारी का मूल्यांकन करना। विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं ऐसी जांच पड़ताल करती हैं, जिनसे यह जाना जा सकता है कि अस्थिरता या घटाव–बढ़ाव या जुड़ाव जो कि अन्य जानकारियों से मेल नहीं खाते हैं या उनमें महत्वपूर्ण राशि के रूप में अपेक्षित मूल्यों से अंतर है।

(18) fo'y"k.kkRed ifØ;kvk d mnkgj.k ftud lkFk 0;olk; dh foÙkh; tkudkfj;k dh rqyuk djr g] o g%

- पूर्व अवधियों के लिए तुलनात्मक जानकारी।
- व्यवसायों या इकाईयों का अनुमानित परिणाम, उदाहरण के रूप में बजट या अंकेक्षक के पूर्वानुमान जैसे मूल्यह्रास का अनुमान लगाना।
- उसी तरह के उद्योग की जानकारी जैसे उद्योग की औसत या उसी उद्योग में तुलनात्मक आकार की अन्य इकाईयों के साथ प्राप्त होने वाले खातों की बिक्री के अनुपात की तुलना करना।

(19) अंकेक्षण की अवधि के दौरान PPE में वृद्धि की संपूर्णता को सत्यापित करने के लिए अपनायी गयी प्रविधि के अतिरिक्त, अंकेक्षण वृद्धि का परीक्षण करने के दौरान यह सत्यापित करें कि PPE खरीदी बिल में संस्था का नाम हो, जो कि संख्या को स्वामित्व की कानूनी पद्वी का अधिकार देता है। भूमि, भवन विस्तार में सभी वृद्धिओं के लिए, अंकेक्षक ने वाहन विलेख/विक्रय विलेख की प्रतियाँ यह स्थापित करने हेतु मांगना चाहिए कि संस्था कानूनी व वैध स्वामी है।

अंकेक्षक को उन सभी मूर्त संपत्तियों के लिए जो आर्थिक चिट्ठे की तिथि पर रखी हुई हैं, वे मूल स्वामित्व विलेख के सत्यापन पर जोर देना चाहिए। इस स्थिति में जब संस्था ने संपत्ति, ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में दी हुई है और मूल स्वामित्व विलेख संस्था के पास नहीं है, तो अंकेक्षक को संस्था के प्रबंधन से मांग करना चाहिए, कि वह संबंधित ऋणदाता जिसके पास अचल संपत्ति के मूल स्वामित्व विलेख, प्रतिभूति के रूप में रखे हुए है, सम्पुष्टि प्राप्त करें। इसके अलावा अंकेक्षक 'रजिस्टर ऑफ चार्ज' को भी सत्यापित करें



© The Institute of Chartered Accountants of India

जो कि तृतीय पक्ष को प्रतिभूति स्वरूप दी गई PPE जाँचने के लिए संस्था के पास उपलब्ध है।

(20) pfd vn'; lifÙk ,d igpku ;kX; xj foÙkh; lifÙk g, जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, ऐसी संपत्तियों के अस्तित्व को स्थापित करने हेतु, अंकेक्षक को यह सत्यापित करना चाहिए कि क्या ऐसी अदृश्य संपत्ति उत्पादन में, माल और सेवाओं की आपूर्ति में, दूसरों को किराये पर देने में या प्रशासनिक उद्देश्यों में सक्रिय रूप से उपयोग में है।

उदाहरण – सॉफ्टवेयर की उपस्थिति के सत्यापन हेतु अंकेक्षण को यह सत्यापित करना चाहिए कि, क्या सॉफ्टवेयर संस्था द्वारा सक्रिय रूप से उपयोग में है तथा इस उद्देश्य के लिए अंकेक्षक को संबंधित सेवाओं/माल की बिक्री को अंकेक्षण अवधि के भीतर सत्यापित करना चाहिए, जिनमें इस सॉफ्टवेयर का उपयोग हुआ है।

उदाहरण – डिजाइन/रेखाचित्र की उपस्थिति के सत्यापन हेतु अंकेक्षक ने उत्पादन डाटा को यह स्थापित करने हेतु सत्यापित करना चाहिए कि क्या वह उत्पादन, जिसके लिए ढाँचा/रेखाचित्र क्रय किए, का संस्था ने उत्पादन या बिक्री की।

यदि कोई अदृश्य संपत्ति उपयोग में नहीं है, तो उसका विलोपन खातों में दर्ज होना चाहिए। संस्था के प्रबंधन की अनुमति के बाद और विलोपन की तिथि के बाद परिशोधन शुल्क चार्ज नहीं होना चाहिए। अध्याय 10– कंपनी अंकेक्षण

(21) l;Dr y[kk ijh{kk & संयुक्त लेखा परीक्षकों के रूप में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को नियुक्त करने की प्रथा बड़ी कंपनियों और निगमों में काफी व्यापक है। संयुक्त लेखा परीक्षा मूल रूप से एक निश्चित समयावधि में एक विशेषज्ञता कार्य करने लिए एक से अधिक फर्मों के लेखा परीक्षकों के संसाधनों एवं विशेषता को एक साथ एकत्र करने से अभिप्रेरित है, जो अकेले कार्य करने में कठिन हो सकता है। इस अनिवार्यता में कुल कार्य को साझा करना शामिल है। यह अपने आप में एक बड़ा लाभ है।

विशिष्ट कार्यो में इसके निम्नलिखित लाभ हो सकते है :–

(i) विशेषता को साझा करना।

(ii) आपसी परामर्श का लाभ।

(iii) कम कार्यभार।

(iv) प्रदर्शन की बेहतर गुणवत्ता।

(v) ग्राहक को बेहतर सेवा।

(vi) अधिकार संभालने की घटना में अधिकार में ली गई कंपनी के लेखा परीक्षक के विस्थापन से प्रायः मुक्ति मिल जाती है।



© The Institute of Chartered Accountants of India

(vii) बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संबंध में, इस कार्य को उन स्थानीय फर्मों की विशेषज्ञता का उपयोग कर प्रसारित किया जा सकता है जो विस्तृत कार्य तथा स्थानीय कानूनों एवं विनियमों से निपटने हेतु बेहतर स्थिति में होती हैं।

(viii) निम्न श्रेणी कर्मचारी विकास लागतें।

(ix) कार्य करने के लिए कम खर्च।

(x) बेहतर प्रदर्शन के प्रति स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना।

¼22½ vid{k.k fjikVZ ij gLrk{kj djus dk dÙkZO; & कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 145 के अनुसार, कंपनी के लेखा परीक्षक के रूप में, नियुक्त व्यक्ति, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करेगा या धारा 141 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के किसी भी अन्य दस्तावेज को हस्ताक्षरित करेगा या प्रमाणित करेगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141(2) बताती है कि जहाँ सीमित दायित्व साझेदारी (LLP) को सम्मिलित करते हुए एक फर्म को, एक कंपनी के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो केवल वे साझेदार जो कि चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं, फर्म की ओर से कार्य करने तथा हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत होंगे।

वित्तीय लेन–देनों या मामलों पर परिमतों/योग्यताओं, प्रेक्षणों या टिप्पणियों, जिनका लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में उल्लिखित कंपनी के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो उसे कंपनी की आम बैठक में पढ़ा जायेगा।

(23) Lo;a }kjk tkap x;s [kkrksa ds ckjs esa dEiuh ds lnL;ksa dks lfpr djus dk vf/kdkj & लेखा परीक्षक अपने द्वारा जाँचे गये खातों तथा प्रत्येक वित्तीय विवरणों के बारे में कंपनी के सदस्यों के लिए एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसे इस अधिनियम के तहत आम बैठक में कंपनी के समझ रखा जाना आवश्यक है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके अंतर्गत बनाये गए किसी भी नियम या इस धारा के तहत दिए गए किसी भी आदेश के तहत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने की आवश्यकता है तथा उसकी सर्वोत्तम सूचना एवं ज्ञान के अनुसार उक्त खाते, वित्तीय विवरण, वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति एवं लाभ या हानि तथा नकदी प्रवाह एवं ऐसे अन्य मामले, जो निर्धारित किए गए हों, के बारे में सही एवं निष्पक्ष चित्रण प्रदान करते हैं।

(24) ys[kk ijh{kk fjiksVZ esa eq[; ys[kk ijh{k.k ekeyksa dk lapkj ugha gks] rks &

(i) वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण के लिए एक विकल्प, जो लागू वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार प्रबंधन की आवश्यकता है या तो स्पष्ट प्रस्तुति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

(ii) उस अंकेक्षक के लिए एक विकल्प, जो लेखांकन मानक SA-705 (संशोधित) के अनुसार लेखा परीक्षा समझौते में विशिष्ट परिस्थितियों में आवश्यक संशोधित राय व्यक्त करता है।



© The Institute of Chartered Accountants of India

(iii) लेखांकन मानक SA-570 के अनुसार, रिपोर्टिंग के लिए एक विकल्प, जब उन घटनाओं या स्थितियों से संबंधित अनिश्चितता उत्पन्न होती है, जो जारी अवधारणा के अनुसार संस्था की योग्यता के ऊपर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है।

(iv) व्यक्तिगत मामलों पर एक अलग राय।

¼25½ jk; d fy, vk/kkj & अंकेक्षक की रिपोर्ट को इस भाग को सीधे शामिल करना चाहिए, इस शीर्षक के साथ 'राय के लिए आधार' कि –

(a) बताता है कि अंकेक्षण मानकों के आधार पर अंकेक्षण किया गया था।

(b) अंकेक्षक की रिपोर्ट के उस भाग का वर्णन करता है, जो कि लेखांकन मानकों SAs के अंतर्गत लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों का वर्णन करता है।

(c) इस विवरण को सम्मिलित करता है कि अंकेक्षण से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार लेखा परीक्षक संस्था के साथ स्वतंत्र है और इन आवश्यकताओं के अनुरूप अंकेक्षक की अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है।

(d) बताये, क्या लेखा परीक्षक का मानना है, कि अंकेक्षक की राय प्रदान करने के लिए, जो लेखा साक्ष्य, अंकेक्षक ने प्राप्त किए है, वे पर्याप्त तथा उपयुक्त है।

(26)(a) vfxze dk vad{k.k & अग्रिम आमतौर पर बैंक की परिसम्पत्तियों का प्रमुख हिस्सा होता है। बड़ी संख्या में ऋणी हैं, जिनके लिए विभिन्न प्रकार के अग्रिम प्रदान किये जाते है। अग्रिमों के अंकेक्षण के लिए अंकेक्षक को प्रमुख ध्यान देने की आवश्यकता है।

अग्रिमों का अंकेक्षण करने में, अंकेक्षक मुख्य रूप से निम्नलिखित के बारे में सबूत प्राप्त करने के लिए संबंद्ध है –

(a) तुलन पत्र में अग्रिम के संबंध में शामिल राशि शेष तुलन पत्र की तारीख को बकाया है।

(b) अग्रिम बैंक को देय की राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं।

(c) बैंक को देय राशि, अग्रिमों की प्रकृति पर लागू होने वाले ऋण दस्तावेजों तथा अन्य दस्तावेजों द्वारा उचित रूप से समर्थित हैं।

(d) कोई अलिखित अग्रिम नहीं है।

(e) अग्रिमों के मूल्यांकन के घोषित आधार उचित और ठीक से लागू होते हैं और अग्रिम की वसूली उनके मूल्यांकन में मान्यता प्राप्त है।

(f) अग्रिमों का मान्यता प्राप्त लेखा नीतियों और प्रथाओं और प्रासंगिक वैधानिक और विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार प्रकटीकरण, वर्गीकरण तथा वर्णन किया गया है।

(g) भारतीय रिजर्व बैंक के मानदण्ड लेखा मानक और आमतौर पर स्वीकार्य लेखा प्रक्रियाओं के अनुसार अग्रिमों के लिए उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं।



© The Institute of Chartered Accountants of India

(b) अंकेक्षक अग्रिमों से संबंधित पर्याप्त तथा उचित अंकेक्षण साक्ष्य अग्रिमों से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के अध्ययन तथा मूल्यांकन से प्राप्त कर सकते हैं तथा द्वारा भी –

* रिकार्डेड राशियों की वैधता का परीक्षण,
* ऋण दस्तावेजों का परीक्षण,
* खातों के व्यवहारों का पुनरीक्षण,
* सुरक्षा की विद्यमानता, प्रवर्तनीयता तथा मूल्यांकन का परीक्षण,
* उचित वर्गीकरण तथा प्रावधानों को शामिल करते हुए RBI मानकों के साथ अनुपालन,
* उचित समीक्षात्मक प्रक्रियाओं का अनुपालन,

अपनी मूल प्रक्रियाओं को लागू करने में अंकेक्षक को सभी बड़े अग्रिमों का परीक्षण करना चाहिए, वहीं अन्य अग्रिमों का नमूना आधार पर परीक्षण किया जा सकता है। खाते, जिन्हें समस्या वाले खाते के रूप में पहचाना गया है, उनकी यदि राशि महत्वपूर्ण ना हो तो उन्हें विस्तृत रूप से परीक्षण किया जाना चाहिए। जबतक कि उनकी राशि महत्वूपर्ण ना हो।

अग्रिम, जिन्हें वर्ष के दौरान स्वीकृत किया गया है या जिन पर RBI निरीक्षण टीम, समवर्ती अंकेक्षकों, बैंक के आंतरिक निरीक्षण आदि ने प्रतिकूल टिप्पणियाँ की हैं, उन्हें सामान्यतः अंकेक्षक के पुनरीक्षण में शामिल किया जाना चाहिए।

27(a) ljdkjh O;;ksa dk vads{k.k %& सरकारी व्ययों का अंकेक्षण, राजकीय अंकेक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसे C&AG के कार्यालय द्वारा किया जाता है। व्ययों के अंकेक्षण के लिए मूल मानदण्डों का समुच्चय यह आश्वासन दिलाता है कि उन सीमाओं को तय करने में समर्थ अधिकारियों द्वारा अधिकृत कोषों के प्रावधान रखे गए हैं, जिनके भीतर व्यय किए जाने है। lfefr esa bu ekudksa dh O;k[;k fuEu rjg gS &

¼i½ fu;ekoyh o vkns'kksa ds fo:) vads{k.k & नियमावली तथा आदेशों के विरूद्ध अंकेक्षण इस आश्वासन का उद्देश्य लेकर चलता है कि व्यय संविधान के तथा उसके अंतर्गत बनाए गए कानूनों तथा नियमावलियों के संबद्ध सत्ता द्वारा निर्गमित आदेशों के अनुसार ही हैं।

¼ii½ vuqeksnu dk vads{k.k & अंकेक्षण को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यय की प्रत्येक मद विशेष अधिकरणों द्वारा या तो सामान्य ढंग से या विशिष्ट रूप से अनुमोदित है।

¼iii½ dks"kksa ds izko/kku ls lacaf/kr vads{k.k & कोषों के प्रावधान से संबंधित अंकेक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि कोषों का एक प्रावधान किया गया है, जिसमें से ही व्यय किया जा सकता है तथा ऐसे व्यय की राशि किए गए नियोजन से अधिक नहीं है।

¼iv½ LokfeRo vads{k.k & ऐसा अंकेक्षण, यह जानने हेतु आवश्यक है कि व्यय वित्तीय स्वामित्व के व्यापक तथा सामान्य सिद्धांतों के अनुरूप किए गए हैं। अंकेक्षक उन अनुचित दशाओं, अपरिहार्यताओं, निष्फल व्ययों चाहे वे व्यय संबंधित नियमों तथा नियमनों की सीमाओं के अंतर्गत ही उपगत व्यय क्यों ना हो, को खोजने का लक्ष्य रखता है। अंकेक्षण



© The Institute of Chartered Accountants of India

सार्वजनिक वित्तीय नैतिकता को बुद्धि, वफादारी तथा किफायत के संदर्भ में देखने का प्रयास करता है, जिससे उच्च स्तरीय मानकों को प्राप्त किया जा सके।

¼**v**½ fu"iknu vid{k.k & इसमें शामिल है – विभिन्न कार्यक्रम, योजनाएं तथा परियोजनाएँ जहाँ बड़ा वित्तीय व्यय किया गया है या जिनको मितव्ययी रूप में चलाया जा रहा है तथा उनके प्रत्याशित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। कार्यक्षमता युक्त निष्पादन अंकेक्षण जहाँ भी प्रयुक्त होता है, किसी संगठन, कार्यक्रम, सत्ता अथवा कार्य के वित्तीय तथा क्रियात्मक वस्तुनिष्ठ परीक्षण की भूमिका निभाता है तथा कहीं अधिक मितव्ययता, कार्यक्षमता तथा प्रभावोत्पादकता के लिए अवसरों को चिन्हित करने की और प्रेरित होता है।

(b) **C&AG** ds drZO; & महालेखा परीक्षक तथा नियंत्रक के (कर्तव्य अधिकार तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 **C&AG** में कर्त्तव्यों को निम्न रूप से बताता है –

(i) dUnz rFkk jkT; ds [kkrks dk ladyu rFkk izLrqfr – **C&AG** ऐसे खातों को रखने के लिए उत्तरदायी खजानों, कार्यालयों और विभागों द्वारा उसके नियंत्रण के अधीन अंकेक्षण तथा लेखा कार्यालयों को प्रेषित प्रारंभिक और सहायक खातों से केंद्रीय तथा प्रत्येक राज्य सरकार के खातों का आंकलन करने के लिए उत्तरदायी है।

(ii) अंकेक्षण से संबंधित सामान्य प्रावधान – **C&AG** का यह कर्त्तव्य होगा।

(a) भारत की संचित निधि एवं प्रत्येक राज्य तथा संघ शासित प्रदेश, जिसमें कि विधानसभा होती है के सभी व्ययों का अंकेक्षण एवं तत्संबंधित रिपोर्ट देना है और यह सुनिश्चित करना कि लेखों में दर्शायी गयी मौद्रिक राशि विधानतः उपलब्ध थी और यह सुनिश्चित करना कि जिन अधिकरणों द्वारा वे शामिल होते हैं, वे इसकी सुनिश्चितता की पुष्टि करते हैं।

(b) संघ एवं राज्यों से संबंधित आकस्मिक निधि एवं सार्वजनिक खातों के संबंध में सभी लेन–देन का अंकेक्षण एवं तत्संबंधित रिपोर्ट।

(c) संघ अथवा किसी राज्य के सभी व्यापारिक, निर्माणी लाभ–हानि खाता तथा स्थिति विवरण एवं अन्य सहायक खाते जिन्हें रखा जाता है, का अंकेक्षण एवं तत्संबंधी रिपोर्ट।

(iii) izkfIr;ksa vkSj O;;ksa dk vid{k.k & जहाँ कोई संस्था या अधिकरण, जिसे भारत में संचित कोष या किसी राज्य या शासित प्रदेश, जिसमें कि विधानसभा होती है, से अनुदान या ऋण मिलता है, तो महालेखा परीक्षक और नियंत्रक को संबंधित प्रावधानों जो कि उस संस्था या अधिकरण पर उस समय लागू होते हैं जैसी भी स्थिति हो की सूक्ष्य जांच करना चाहिए, महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक उस संस्था की प्राप्तियों एवं सेवाओं का अंकेक्षण करेगां एवं तत्संबंधी रिपोर्ट देगा।

(iv) vuqnkuks ;k _.kksa dk vid{k.k & जहाँ भारत के संचित कोष या किसी राज्य या किसी संघ शासित प्रदेश, जिसमें विधानसभा होती है, से किसी संस्था या अधिकरण, जो विदेशी राज्य या अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं हो, को कोई अनुदान या ऋण किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए दिए जाते हैं, तो महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक ने उस प्रविधि की सूक्ष्म



© The Institute of Chartered Accountants of India

जांच करना चाहिए, जिससे अनुदान या ऋण स्वीकृत करने बाकी संस्था के द्वारा निर्धारित दशाओं के पालन की जानकारी हो सके तथा इस उद्देश्य के लिए उस अधिकृत अथवा निकाय को उचित पूर्व नोटिस दे कर उन पुस्तकों तथा खातों तक पहुंच का अधिकार लेना चाहिए।

(v) **l?k ;k jkT;ks dh ifIr;ks dk vads{k.k &** महालेखा परीक्षक और नियंत्रक का यह कर्त्तव्य है कि वह भारत की संचित निधि या प्रत्येक राजकीय और विधान सभाओं वाले केन्द्र शासित प्रदेशों की संचित निधि में दी जाने वाली प्राप्तियों का अंकेक्षण करें और इस तथ्य के प्रति संतुष्ट हो जायें कि इन नियमों और प्रविधियों को, जिन्हें अनुमान संग्रहण और आयों के उचित आवंटन के लिए बनाया गया है, को ध्यान में रखा गया है और इस उद्देश्य के लिए खातों के ऐसे परीक्षण को जिसे वह उचित समझे, उसकी जांच करना चाहिए, और उस पर अपनी रिपोर्ट भी देना चाहिए।

(vi) **LVksl Z vkj LVkd [kkrks dk vads{k.k &** महालेखा परीक्षक तथा नियंत्रक को यह अधिकार होगा कि वह संघ या राज्यों के विभागों में या किसी कार्यालय में रखे स्टोर्स और स्टॉक के खातों का अंकेक्षण करें और उस पर अपनी रिपोर्ट दे।

(vii) **ljdkjh dEifu;ks vkj fuxeks dk vads{k.k &** सरकारी कंपनियों के खातों के अंकेक्षण के संबंध में महालेखा परीक्षक और नियंत्रक के कर्त्तव्य और शक्तियाँ कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रदर्शित तथा उपयोग किए जायेंगे। भारत के महालेखा परीक्षक व नियंत्रक के द्वारा धारा– 139 की उपधारा (5) या उपधारा (7) के अंतर्गत एक अंकेक्षक की नियुक्ति (यानि प्रथम लेखा परीक्षक या बाद के लेखा परीक्षक की नियुक्ति) की जावेगी तथा उस अंकेक्षक को इस प्रकार निर्देशित किया जायेगा, जिसमें सरकारी कंपनी के खातों का अंकेक्षण हो तथा इसके बाद अंकेक्षक को अंकेक्षण रिपोर्ट की एक प्रति भारत के महालेखा परीक्षक व नियंत्रण को जमा कराना होगा जिसमें अन्य बातों के साथ ही यदि भारत के महालेखा परीक्षक व नियंत्रक द्वारा यदि कोई निर्देश दिए गए हो तो उन्हें तथा उन पर की गई कार्यवाही तथा कंपनी के खातों तथा वित्तीय विवरणों पर उनके प्रभाव को भी बताना होगा।

(28) **f'k{k.k laLFkkvks ds vads{k.k e s lfUufgr fo'k"k pj.k fuEufyf[kr g S%&**

(i) स्कूल तथा कॉलेज की दशा में न्यास संविदा अथवा नियमावली का परीक्षण करना तथा खातों को प्रभावित करने वाले सभी प्रावधानों को नोट करना। विश्वविद्यालय की दशा में, विधानमंडल के अधिनियम व उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का हवाला लें।

(ii) प्रबंध समिति या संचालन समिति की सभाओं की मिनट्स का पूरी तरह से अध्ययन करें। खातों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावों को यह देखने के लिए नोट करें कि क्या इनका विधिवत पालन किया गया है, विशेषतः ऐसे निर्णय जो बैंक खाते के परिचालन तथा व्ययों को स्वीकृत करने के संबंध में हैं।

(iii) संबंधित कक्षा रजिस्टर्स से प्रत्येक माह या प्रत्येक अवधि (सत्र) के लिए विद्यार्थियों के फीस रजिस्टर्स में दर्ज नामों के चैक करें। रोल नं. पर छात्रों के नाम दिखाते हुए



© The Institute of Chartered Accountants of India

तथा प्राप्त की गई फीस को जाँचे एवं सत्यापित करें कि अंतरिम जांच की व्यवस्था मौजूद है, जो यह आश्वासन देती है कि छात्र के प्रति मांगों को विधिवत वसूल किया जाता है।

(iv) रोकड़ वही प्रविष्टियों के साथ दी गई रसीदों के प्रतिपर्णो की तुलना करके प्राप्त शुल्क को चैक करें तथा फीस रजिस्टर में उगाहियों को चिन्हित करके पुष्टि करें कि इस स्त्रोत से आगम विधिवत खातों में ले लिया गया है।

(v) प्रत्येक माह या सत्र के लिए फीस रजिस्टर के विभिन्न चरणों का जोड़ लगाए, ताकि ज्ञात हो सके कि अग्रिम रूप से चुकाई गई फीस आगे ले जायी गयी है तथा बकाया राशियाँ जो वसूली योग्य नहीं है, किसी उपयुक्त सत्ता से स्वीकृति लेकर अपलिखित कर दी गयी है।

(vi) संस्था के प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित प्रवेश स्लिपों के साथ प्रवेश शुल्क को चैक करें तथा पुष्टि करें कि राशि को पूंजी कोष में क्रेडिट किया गया है, जब तक कि प्रबंध समिति ने इसके विपरीत कोई निर्णय न ले लिया हो।

(vii) देखा जाए कि, विद्यार्थी को मुफ्त या कोई छूट दी गई है तो एक उचित अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट नियमों के अनुसार ऐसा किया गया हो।

(viii) पुष्टि करें कि देरी से भुगतान या अनुपस्थिति पर अर्थदंड आदि लिया गया है, तो उसे एकत्रित या छोड़ना उचित प्राधिकारी के अंतर्गत किया गया हो।

(ix) पुष्टि करें कि छात्रों के खाते बंद किए जाने के पूर्व छात्रावास की बकाया राशियाँ वसूल की गयी है तथा कॉशन मनी की उनकी जमाओं को रिफण्ड किया गया है।

(x) भू–सम्पत्ति से किराए की आय को किराया तालिका आदि से सत्यापित करें।

(xi) बंदोबस्ती तथा वसीयतों से आय और साथ ही निवेशों के ब्याज तथा लाभांश की आय का प्रमाणन करें, साथ ही किए गए निवेशों के संबंध में प्रतिभूतियों का निरीक्षण करें।

(xii) सरकारी या स्थानीय अधिकारी के किसी अनुदान को अनुदान के प्रासंगिक पेपरों के साथ सत्यापित करें। यदि अनुदान के लिए किसी खर्च को अस्वीकार किया गया है, तो उसके कारणों तथा अनुपालन का पता लगायें।

(xiii) यदि कोई बड़ा शुल्क, छात्रावास किराया लंबे समय से प्राप्त नहीं हुआ है तो इसकी रिपोर्ट प्रबंधन समिति को देना चाहिए।

(xiv) पुष्टि करें कि जमानत राशि तथा अन्य जमा राशियाँ जो छात्र प्रवेश के समय जमा कराते हैं, स्थिति विवरण में दायित्व के रूप में दिखाई गई है, आगम में हस्तांतरित नहीं की गई है।

(xv) देखा जाए कि पुरस्कारों को देने के लिए निवेश जो अक्षय निधि को बताते हैं, उन्हें अलग रखा गया है तथा पुरस्कारों से अतिरिक्त आय को भी एकत्रित कर कोष के साथ विनियोजित किया गया है।



© The Institute of Chartered Accountants of India

(xvi) सत्यापित करे कि कर्मचारियों की भविष्य निधि की धनराशि उचित प्रतिभूतियों में विनियोजित की गई हो।

(xvii) यदि कोई दान हों, तो उन्हें वार्षिक प्रतिवेदन में प्रकाशित सूची में प्रमाणित करें। यदि कोई दान किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों के लिए दिए गए हों, तो देखें कि राशि उस उद्देश्य के लिए काम में ली गई हो।

(xviii) सभी पूंजीगत व्ययों को सामान्य रूप में देखा जाना चाहिए तथा स्वीकृति की पुष्टि समिति की सूक्ष्म पुस्तिका से की जाना चाहिए।

(xix) संस्था के स्थापना व्ययों को सामान्य रूप से सत्यापित करना चाहिए, परंतु यदि किसी मद में बहुत अधिक व्यय किए गए हों, तो उनका सत्यापन करते समय पूछताछ करना चाहिए।

(xx) यदि कर्मचारियों के वेतन में कोई वृद्धि की गई है, तो यह देखना होगा कि इसकी अनुमति समिति द्वारा दी गई है तथा उसे मिनिट्स में लिखा गया है।

(xxi) निर्धारण करें कि आपूर्तियों, खाद्य पदार्थो, कपड़े, वस्त्रों अन्य उपकरणों की प्राप्ति तथा निर्गमन पर निरीक्षण का आदेश देने वाली प्रणाली प्रभावी है तथा बिल भुगतान पूर्व भली प्रकार अधिकृत तथा पास किए जाते हैं।

(xxii) फर्नीचर, स्टेशनरी, कपड़े, किराना तथा अन्य उपकरणों आदि के स्कंध का सत्यापन करना चाहिए। इन्हें इन्वेन्टरी रजिस्टर के संदर्भ से तथा विभिन्न सामग्रियों पर आवंटित राशि से चैक करना चाहिए।

(xxiii) संस्था को विनियोगों से प्राप्त आय पर स्त्रोत पर आयकर की कटौती के दावे व वापस लेने की जांच तथा पुष्टि करना चाहिए। चूंकि ऐसी संस्थाएँ प्रायः आयकर भुगतान से मुक्त होती हैं।

(xxiv) वार्षिक खातों को सत्यापित करना होगा तथा ऐसा करते समय यह देखा जाए कि निर्धन छात्र कोष, क्रीड़ा कोष, छात्रावास तथा स्टाफ के भविष्य निधि कोष आदि के संदर्भ में खातों के अलग से विवरण बनाये जावें।



© The Institute of Chartered Accountants of India